मध्यप्रदेश शासन

प्रशासनिक प्रतिवेदन

वर्ष 2017-18

पशुपालन विभाग

मध्यप्रदेश शासन

मंत्रालय

पद नाम	नाम	दूरभाष	
		कार्यालय	निवास
मंत्री	माननीय श्री अंतर सिंह आर्य	2551953	2441593 2441060
अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त	श्री पी. सी. मीणा	2441348	2573931
प्रमुख सचिव	श्री अजीत केसरी	2430163	2422966
उप सचिव	श्री प्रकाश जांगरे	2573904	–
अवर सचिव	श्रीमती कलिस्ता कुजुर	2512023	–

विभागाध्यक्ष

पद नाम	नाम	दूरभाष	
		कार्यालय	निवास
संचालक पशुपालन	डा0 आर0के0 रोकड़े	2772262	2765340
प्रबन्ध संचालक मध्यप्रदेश स्टेट को–आपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड	श्रीमती अरूणा गुप्ता	2602145	–
प्रबन्ध संचालक मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम	डा0एच.बी.एस. भदौरिया	2776086	2980223
प्रबन्ध संचालक मध्यप्रदेश गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड	डा0 आर0के0 रोकड़े	2776310	2765340

विषय सूची

भाग	विषय	पृष्ठ
एक	1.1 विभागीय संरचना	1
	1.2 अधीनस्थ कार्यालय	2
	1.3 विभाग के अन्तर्गत आने वाले उपक्रम/ निगम मण्डलों का विवरण	2
	1.4 विभाग का उद्देश्य	3
	1.5 विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी	3
	1.6 तकनीकी कार्य	3
	1.7 पशु स्वास्थ्य रक्षा एवं संवर्धन	4-5
	1.8 मध्य प्रदेश पशुधन विकास नीति	5
	1.9 नस्ल सुधार	5-10
	1.10 महत्वपूर्ण सांख्यिकी	10-12
दो	**बजट विहंगावलोकन एवं बजट प्रावधान एवं व्यय**	13-14
तीन	**राज्य योजनाएं तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं**	15
	3.1 हितग्राही मूलक योजनाएं	15-21
	3.2 पशु चिकित्सा सेवाओं का विस्तार	22
	3.3 भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला की स्थापना	22
	3.4 पशु आश्रय स्थल आसरा	23
	3.5 पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय	23
	3.6 ई-वेट परियोजना	23-24
	3.7 केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं	25-34
चार	**शासकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र/भेड़ प्रक्षेत्र/बकरी प्रक्षेत्र/कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र**	35
	4.1 शासकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र का उद्देश्य	35
	4.2 शासकीय भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र का उद्देश्य	36
	4.3 शासकीय बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र का उद्देश्य	36
	4.4 शासकीय कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र का उद्देश्य	37
पांच	**सामान्य प्रशासनिक जानकारी**	38-40
छः	**विभागीय उपलब्धियां**	41
	6.1 महत्वपूर्ण विभागीय उपलब्धियां	41-42
	6.2 गोकुल महोत्सव	42-43

सात	**विभाग के अन्तर्गत आने वाले निगम, बोर्ड एवं समितियां**	44
	7.1 म.प्र.राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम	44-45
	7.2 एम.पी. स्टेट कोआपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड	46-48
	7.3 म.प्र.गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड	49-51
	7.4 पशु रोगी कल्याण समिति	51
	7.5 पशु क्रूरता निवारण समिति	51
	7.6 मध्य प्रदेश पशु चिकित्सा परिषद्	52
आठ	**परिशिष्ट एक -जिलेवार 19वीं पशु संगणना 2012 के आंकड़े**	53-54
	परिशिष्ट दो - 19वीं पशु संगणना में मध्यप्रदेश की हिस्सेदारी	55
	परिशिष्ट तीन- देश के अन्य राज्यों की तुलना में प्रदेश के पशु उत्पादों की जानकारी (वर्ष 2016-17)	56
	परिशिष्ट चार -जिलेवार अनुमानित दूध,अण्डा,मांस की जानकारी (वर्ष 2016-17)	57-58
	परिशिष्ट पांच- 19वीं पशु संगणना 2012 अनुसार प्रजनन योग्य गौ-भैंस (मादा पशु) की जानकारी	59-60
	परिशिष्ट छः - 19वीं पशु संगणना 2012 अनुसार म.प्र. में पशु चिकित्सा संस्थाओं पर पशुधन स्थिति (दिसम्बर 2017 की स्थिति में)	61-62

भाग — एक

1.1 विभागीय संरचना

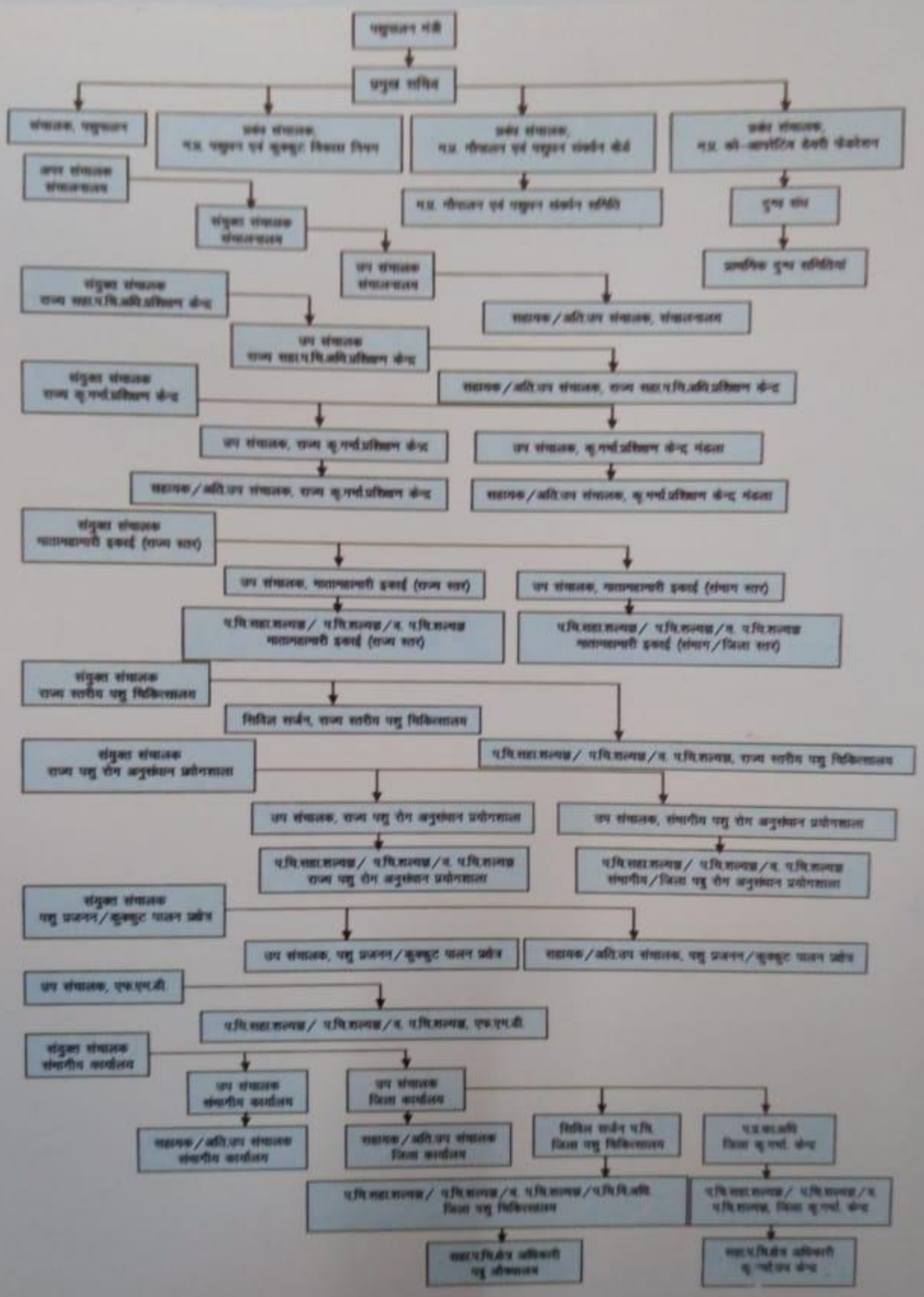

1.2 अधीनस्थ कार्यालय

(i) संचालनालय पशुपालन,

(ii) पशु स्वास्थ्य एवं जैविक उत्पाद संस्थान महू जिला इन्दौर,

(iii) संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं, समस्त संभाग,

(iv) उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं समस्त जिले,

(v) राज्य पशु रोग अन्वेषण प्रयोगशाला, भोपाल,

(vi) माता महामारी उन्मूलन कार्यक्रम म0प्र0, भोपाल,

(vii) मुँहखुरी रोग व्यापकी इकाई, भोपाल,

(viii) कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल/मंडला,

(ix) सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान शिवपुरी,

(x) राज्य पशु चिकित्सालय भोपाल,

(xi) जर्सी पशु प्रजनन प्रक्षेत्र भदभदा (भोपाल)

(xii) पशु प्रजनन प्रक्षेत्र मिनौरा (टीकमगढ़) आगर (मालवा) रोड़िया (खरगौन), रतौना (सागर), इमलीखेड़ा (छिंदवाड़ा), गढ़ी (बालाघाट), पवई (पन्ना),

(xiii) बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र आरोन (ग्वालियर), मिनौरा (टीकमगढ़),

(xiv) भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र पड़ोरा (शिवपुरी), मिनौरा (टीकमगढ़),बांसाखेड़ी (मंदसौर)

(xv) कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र एवं अनुसंधान केन्द्र भोपाल,

(xvi) कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र, इन्दौर/ग्वालियर/रीवा/शहडोल/छिंदवाड़ा/झाबुआ/गुना/सागर,

(xvii) कुक्कुट प्रशिक्षण विद्यालय,रीवा

1.3 विभाग के अन्तर्गत आने वाले उपक्रम/ निगम/मंडलों/ परिषद्/ संस्थानों का विवरण

1.3.1 मध्यप्रदेश गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड,

1.3.2 मध्यप्रदेश स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड

1.3.3 मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम,

1.3.4 म0प्र0पशु चिकित्सा परिषद,

1.3.5 नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर

1.4 विभाग का उद्देश्य

पशुपालन विभाग का उद्देश्य पशु स्वास्थ्य रक्षा तथा पशु संवर्धन एवं संरक्षण के माध्यम से पशुधन एवं कुक्कुट उत्पाद में वृद्धि करना तथा कमजोर वर्ग के हितग्राहियों को पशुपालन के माध्यम से आर्थिक लाभ पहुँचाना है।

1.5 विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी

1 नवम्बर, 1956 को मध्यप्रदेश के गठन उपरान्त 20 मई,1962 को कृषि विभाग के अन्तर्गत ही पृथक से संचालनालय, पशु चिकित्सा सेवाएं स्थापित किया गया। वर्ष 1981में पशुपालन विभाग को कृषि विभाग से पृथक करते हुए स्वतंत्र रुप से अस्तित्व में लाया गया। 4 फरवरी 2011से संचालनालय पशु चिकित्सा सेवाएं का नाम परिवर्तन कर संचालनालय,पशुपालन किया गया है।

1.5.1	प्रदेश का कुल क्षेत्रफल (हजार वर्ग किलोमीटर में)	308
1.5.2	प्रदेश की कुल जनसंख्या (लाख में जनगणना 2011)	726
1.5.3	प्रदेश में कुल पशुधन संख्या (लाख में पशु संगणना2012)	363
1.5.4	प्रदेश की कुल गौवंशीय पशु (लाख में पशु संगणना 2012)	196
1.5.5	प्रदेश की कुल भैंसवंशीय पशु (लाख में पशु संगणना 2012)	82
1.5.6	प्रदेश की कुल भेड़ा-भेड़ी पशु (लाख में पशु संगणना 2012)	3
1.5.7	प्रदेश की कुल बकरा-बकरी पशु (लाख में पशु संगणना 2012)	80
1.5.8	प्रदेश की कुल कुक्कुट (लाख में पशु संगणना 2012)	119

1.6 तकनीकी कार्य

1.6.1 पशु चिकित्सा सेवाएं अन्तर्गत पशु रोगों की रोकथाम तथा उसका उपचार,

1.6.2 पशु रोग अन्वेषण,

1.6.3 टीकाकरण,

1.6.4 बधियाकरण,

1.6.5 पशुपालन अन्तर्गत समग्र पशुधन का संरक्षण/ संवर्धन एवं विकास,

1.6.6 समुन्नत प्रजनन,

1.6.7 पशुपालन विस्तार सेवा,

1.6.8 पशुधन विकास कार्यो का पर्यवेक्षण,

1.6.9 कुक्कुट पालन, प्रजनन, संवर्धन,

1.6.10 दुग्ध, दुग्ध उत्पादों, अण्डों, मांस की जांच गुणवत्ता नियंत्रण,

1.6.11 डेयरी गतिविधियों का सर्वेक्षण, विस्तार, विकास सॉंख्यिकी,

1.6.12 सेवाओं से संबद्ध सभी विषय जिसका विभाग से संबंध हो,

1.7 पशु स्वास्थ्य रक्षा एवं संवर्धन

1.7.1 पशु स्वास्थ्य रक्षा हेतु विभाग द्वारा राज्य स्तरीय पशु चिकित्सालय, संभागीय पॉलीक्लिनिक, जिला/ विकासखण्ड/ ग्राम स्तरीय पशु चिकित्सालय, पशु औषधालय, चल चिकित्सा इकाई, चल विरूजालय, स्टेट पेटर्न कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र, स्टेट पेटर्न कृत्रिम गर्भाधान उपकेन्द्र, मुख्य ग्राम खण्ड

योजना, मुख्य ग्राम खण्ड इकाई, रोग अनुसंधान प्रयोगशालाएं एवं टीकाद्रव्य उत्पादन हेतु पशु स्वास्थ्य एवं जैविक उत्पादन संस्थान महूँ जिला इन्दौर में संचालित है।

पशुओं की स्वास्थ्य रक्षा पशु उपचार, औषधि वितरण, टीकाकरण, नमूनों की जांच आदि से की जाती है। पशुओं का उपचार न केवल पशु चिकित्सालयों व पशु औषधालयों में किया जाता है बल्कि चल पशु चिकित्सा इकाई/ विरुजालय व पशु चिकित्सा शिविरों का आयोजन करके भी किया जाता है।

1.7.2 संक्रामक रोगों की रोकथाम हेतु समसामयिक टीकाकरण किया जाता है। टीकाकरण हेतु जिला स्तर पर निम्नानुसार विन्दुओं पर ब्लू प्रिंट तैयार किए जाते हैः-

1.7.2.1 ऐसे ग्रामों की 5 किलोमीटर की परिधि में आने वाले ग्रामों के समस्त पशु जहाँ गत् तीन वर्षो में किसी संक्रामक रोग का उद्‌भेद हुआ हो।

1.7.2.2 ग्वारियों में जाने वाले पशु।

1.7.2.3 प्रदेश के बाहर आवागमन मार्गो से आने-जाने वाले पशु।

1.7.2.4 पशु बाजार में बाहर से आने वाले पशु।

1.7.2.5 वन क्षेत्र की सीमा में आने वाले ग्रामों के पशु।

1.7.3 संक्रामक रोगों में मुंहपका खुरपका रोग(एफ.एम.डी),एकटंगिया .अथवा चुरकारोग (बी.क्यू), गलघोंटू अथवा घटसर्प रोग (एच.एस.) छड़ (एंथ्रेक्स), पी.पी.आर. स्वाईन फीवर, एंट्रोटोक्सिमिया, रैबीज, रानीखेत (कुक्कुट), फाउलपॉक्स (कुक्कुट), स्पाईरोकीटोसिस (कुक्कुट), मैरेक्स (कुक्कुट), गंबोरो (कुक्कुट) का टीकाकरण किया जाता है।

1.7.4 प्रदेश में पशु संसर्गजन्य रोगों (contagious) के रोकथाम हेतु पशु स्वास्थ्य एवं जैविकउत्पादन संस्थान महूँ जिला इन्दौर में चार प्रकार के जीवाणु टीकों, दो प्रकार के टिशू कल्चर (विषाणु) टीकों सहित कुल 12 प्रकार के टीके तथा तीन प्रकार के टीका घोलकों का उत्पादन किया जाता हैं। मुंहपका खुरपका व पी.पी.आर. रोग को छोड़कर समस्त संक्रामक रोगों के टीकाद्रव्य का उत्पादन इस संस्थान में किया जाता है।

1.7.5 यह संस्थान प्रदेश में टीकाद्रव्य की आवश्यकता की पूर्ति करता है साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य को भी आवश्यकतानुसार टीकाद्रव्य प्रदाय किया जाता है एवं विशेष परिस्थितियों में देश के अन्य राज्यों को भी टीकाद्रव्य उपलब्ध कराया जाता है।

1.8 मध्यप्रदेश पशुधन विकास नीति

प्रदेश की कृषि क्षेत्रक गतिविधियों के विकास एवं गरीबी उन्मूलन में पशुपालन के महत्व के दृष्टिगत पशुपालन विभाग द्वारा मध्यप्रदेश पशुधन विकास नीति 2011तैयार की गई है। पशुधन विकास नीति की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं ।

1.8.1 विभिन्न पशुधन विकास एवं उत्पादकता वृद्धि कार्यक्रमों के लिए एक समान रणनीति न अपनाते हुए कृषि जलवायु तथा आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियों पर आधारित कार्यक्रम बनाए जाने पर विशेष ध्यान दिया गया है।

1.8.2 लघु एवं संसाधन विहीन पशुपालकों को पशुधन उत्पादन वृद्धि में होने वाली कठिनाईयों को दूर करने के उद्देश्य से कम लागत मूल्य पर अधिकाधिक संसाधन उपलब्ध कराए जाने के प्रयास किए गए हैं ।

1.8.3 पशुधन विकास कार्यक्रमों का वातावरण में प्रभाव, समान अवसर, महिलाओं को सीधा लाभ तथा स्थिरता जैसे मुद्दों को भी नीति में समाहित किया गया है।

1.8.4 पशुधन क्षेत्र की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संस्थागत संरचना एवं प्रक्रियाओं पर विशेष ध्यान देते हुए विभागीय अमले की दक्षता उन्नयन संबंधित विषयों को भी शामिल किया गया है ।

1.8.5 पशुधन विकास नीति में सार्वजनिक/निजी/किसान/गैर सरकारी संस्थाओं की साझेदारी को प्रोत्साहन दिए जाने पर बल दिया गया है।

1.8.6 पशुधन उत्पादन एवं उत्पादकता वृद्धि कार्यक्रमों के विस्तार एवं क्रियान्वयन हेतु गैर सरकारी संस्थाओं, स्वयंसेवी संस्थाओं एवं लोक निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने की ओर विशेष ध्यान दिया गया है ।

1.8.7 विभिन्न कार्यक्रमों के अग्रगामी एवं पश्चगामी जुडावों का ध्यान भी नीति में रखा गया है ताकि पशुधन उत्पादों के संकलन, प्रसंस्करण एवं उनका लाभात्मक विपणन सुनिश्चित किया जा सके।

1.8.8 पशुधन विकास नीति गतिमान स्वरूप की होने के फलस्वरूप समय-समय पर पशुपालन के क्षेत्र में हो रहे परिवर्तन के अनुरूप शिथिलता समाहित किए हुए है ।

1.9 नस्ल सुधार

प्रदेश में उपलब्ध पशुओं में मुख्यतः अवर्णित नस्ल के पशु अधिक संख्या में पाए जाते हैं। इन पशुओं की उत्पादक क्षमता बहुत कम है इनकी उत्पादक क्षमता में वृद्धि के लिए प्रदेश में नस्ल सुधार कार्यक्रम संचालित हैं। इस कार्यक्रम के तहत् कृत्रिम गर्भाधान एवं प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा नस्ल सुधार किया जाता है। प्राकृतिक गर्भाधान में उच्च कोटि के सांडों से मादा पशुओं में प्राकृतिक गर्भाधान कराकर नस्ल सुधार किया जा रहा है। इसी प्रकार कृत्रिम गर्भाधान में उन्नत नस्ल के सांडों के वीर्य से कृत्रिम विधि द्वारा मादा पशुओं में गर्भाधान कराकर नस्ल सुधार किया जा रहा है। प्रदेश में 19वीं पशु संगणना 2012 के अनुसार उपलब्ध 109.05 लाख प्रजनन योग्य मादा पशुओं में से लगभग 66.10 लाख मादा पशुओं को विभाग की संस्थाओं द्वारा कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से प्रजनन सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इसी प्रकार प्रदेश में विभिन्न योजनाओं में प्रदाय उन्नत नस्ल के लगभग 16713 सांडों/पाड़ों द्वारा नैसर्गिक गर्भाधान सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

1.9.1 प्रदेश के देशी वर्णित पशुधन

1.9.1.1 मालवा क्षेत्र के शाजापुर, देवास, इन्दौर, उज्जैन व राजगढ़ जिलों में मालवी नस्ल के गौवंशीय पशु अपनी भारवाहक क्षमता के लिए प्रसिद्ध हैं।

1.9.1.2 इसी प्रकार निमाड़ क्षेत्र के खरगौन, बड़वानी जिलों में निमाड़ी नस्ल के गौवंशीय पशु अपनी भारवाहक क्षमता के लिए पहचाने जाते हैं।

1.9.1.3 टीकमगढ़ व पन्ना क्षेत्र में केनकथा नस्ल के गौवंशीय पशु अपनी भारवाहक क्षमता के लिए प्रसिद्ध हैं।

1.9.1.4 भैंस वंश में भदावरी उत्तरी मध्यप्रदेश के भिण्ड जिले में पाई जाती है जो कि दुग्ध उत्पादन हेतु तुलनात्मक दृष्टि से अच्छी है।

1.9.1.5 मध्यप्रदेश के झाबुआ तथा धार जिले में प्रदेश की महत्वपूर्ण ख्याति प्राप्त कुक्कुट नस्ल कड़कनाथ पाई जाती है। इसके सरंक्षण तथा संवर्धन हेतु विभाग में कड़कनाथ प्रक्षेत्र झाबुआ में संचालित है।

1.9.2 पशु प्रजनन नीति

1.9.2.1 गौवंशीय पशु प्रजनन नीति

प्रदेश के गौ-वंशीय पशुओं के प्रजनन के लिए निम्नलिखित मापदण्ड निर्धारित किए गए हैंः-

(i) स्थानीय गौ-नस्ल के संरक्षण हेतु नस्ल के ब्रीडिंग ट्रैक्ट्स के शाजापुर,उज्जैन,राजगढ़ जिले में मालवी नस्ल से, निमाड़ क्षेत्र के खरगौन,बड़वानी जिलों में निमाड़ी नस्ल से एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जिला पन्ना व छतरपुर जिले की लौड़ी तहसील में केनकथा नस्ल से चयनित प्रजनन।

(ii) ग्रामीण क्षेत्र में क्षेत्र विशेष अनुसार स्थानीय अवर्णित नस्लों का देशी वर्णित नस्ल से उन्नयन। मुख्यतः हरियाणा,साहीवाल,थारपारकर व गिर नस्ल से।

(iii) शहरी, अर्द्धशहरी, मिल्कशेड व औद्योगिक क्षेत्र में जर्सी व हॉलिस्टिन फ्रीजियन से संकर प्रजनन। सामान्यतः विदेशी रक्त (Exotic Blood Level) का स्तर 50 प्रतिशत तक एवं प्रगतिशील पशुपालकों की इच्छानुसार विदेशी रक्त का स्तर 62.5 प्रतिशत तक।

उपरोक्त मापदण्ड अनुसार प्रजनन नीति के क्रियान्वयन हेतु प्रदेश को निम्नलिखित सात जोन में विभाजित किया गया है--

(i) जोन I उत्तरीय नदी घाटी

इस जोन के अन्तर्गत भिण्ड, मुरैना, ग्वालियर तथा दतिया का अल्प भाग आता है एवं इस जोन में हरियाणा नस्ल की तरह व श्रेणीकृत द्विउद्देशीय गौवंशीय पशु पाए जाते हैं। साधारणतः ये पशु आंशिक स्टाल फीडिंग प्रणाली में पाले जाते हैं। इस क्षेत्र की कृषि जलवायु स्थिति हरियाणा नस्ल के होम ट्रेक्ट से मिलती जुलती है, अतः इस जोन के ग्रामीण क्षेत्रों में हरियाणा नस्ल से उन्नयन किया जाएगा।

पशुपालकों की मांग पर शहरी एवं अर्द्ध–शहरी क्षेत्रों में विदेशी नस्ल से संकर प्रजनन भी किया जा सकता है।

(ii) जोन II लैट्रेटिक बेल्ट आफ शिवपुरी

इस जोन के अन्तर्गत शिवपुरी जिला एवं गुना का उत्तरी हिस्सा आता है एवं इस क्षेत्र के गौवंशीय पशु सामान्यतः गहरे लाल रंग के औसत कद काठी के हैं जो कृषि कार्य के लिए उपयुक्त हैं किन्तु इनका दुग्ध उत्पादन कम है। अतः इस जोन के ग्रामीण क्षेत्रों में देशी वर्णित नस्ल जैसे हरियाणा, थारपारकर से उन्नयन किया जाएगा। चूँकि शिवपुरी जिला मिल्क शेड में आता है, इसलिए शहरी एवं अर्द्ध–शहरी क्षेत्रों में जर्सी नस्ल से संकर प्रजनन अनुशंसित है।

(iii) जोन III मालवा का पठार

इस जोन के अन्तर्गत राजगढ़, शाजापुर, उज्जैन, रतलाम, इंदौर, देवास, गुना, विदिशा, रायसेन, सीहोर, धार, उत्तरी झाबुआ, मंदसौर एवं नीमच जिले आते हैं एवं इस क्षेत्र में मुख्य रूप से द्विउद्देशीय गाय की मालवी नस्ल पाई जाती है। इस जोन के अन्तर्गत उज्जैन जिले की महिदपुर तहसील, राजगढ जिले की खिलचीपुर, जीरापुर तहसील एवं आगर व शाजापुर जिले की आगर एवं शाजापुर तहसील में मालवी नस्ल से चयनित प्रजनन किया जाएगा एवं शेष ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालकों की मांग अनुसार मालवी एवं थारपारकर अथवा गिर नस्ल से उन्नयन तथा शहरी एवं अर्द्ध शहरी क्षेत्रों के मिल्क शेड क्षेत्र में विदेशी नस्ल जर्सी, एच. एफ. से संकर प्रजनन किया जाना लक्षित है।

(iv) जोन IV निमाड़ी ट्रेक्ट

इस जोन के अन्तर्गत अलीराजपुर जिले की अलीराजपुर तहसील, धार जिले की कुक्षी व मनावर तहसील, जिला खरगोन, बडवानी, खण्डवा, बुरहानपुर, हरदा जिले की हरदा तहसील तथा बैतूल जिले की भैंसदेही तहसील आती है। इस जोन में गाय की निमाड़ी नस्ल के पशु पाए जाते हैं जो एक भार वाहक नस्ल है। इस जोन के मिल्क शेड क्षेत्र में विदेशी नस्ल–जर्सी से संकर प्रजनन तथा पश्चिम निमाड़–खरगोन व बड़वानी, जिलो में निमाड़ी नस्ल चयनित प्रजनन, पूर्वी निमाड़–खण्डवा, बुरहानपुर, जिले के ग्रामीण क्षेत्र में निमाड़ी नस्ल से चयनित प्रजनन तथा शेष शहरी व मिल्क क्षेत्र में विदेशी नस्ल से संकर प्रजनन किया जाना लक्षित है।

(v) जोन V पश्चिमी विंध्य पठार व नर्मदा घाटी

इस जोन के अन्तर्गत जिला जबलपुर, नरसिंहपुर, सागर, होशंगाबाद, दमोह जिले की दमोह तहसील, छिंदवाडा जिले की अमरवाडा तहसील तथा सिवनी जिला (कुरई विकास खण्ड छोड़कर) आता है एवं इस जोन क्षेत्र में अवर्णित नस्ल के देशी पशु पाए जाते हैं। प्रजनन नीति अनुसार जोन के ग्रामीण क्षेत्र में थारपरकर नस्ल से उन्नयन तथा मिल्क शेड व शहरी क्षेत्र में विदेशी नस्ल जर्सी, हॉलिस्टिन फ्रिजियन से संकर प्रजनन तथा छत्तीसगढ से जुड़े कुछ क्षेत्रों में साहीवाल नस्ल से उन्नयन किया जाना लक्षित है।

(vi) जोन VI पूर्वी विंध्य पठार

इस जोन के अन्तर्गत दमोह जिले की हटा तहसील, जबलपुर की मुडवारा तहसील एवं जिला रीवा, सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ तथा सीधी जिले का उत्तरी

क्षेत्र आते हैं एवं इस जोन की केन घाटी में पन्ना जिले की अजयगढ़ तहसील क्षेत्र केनकथा नस्ल का होम लैण्ड है। यह नस्ल प्रसिद्ध भारवाहक नस्ल है जो पहाड़ी क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। केनकथा नस्ल के श्रेणीकृत पशु पन्ना जिले से जुड़े हुए छतरपुर के कुछ भागों में भी पाए जाते हैं। प्रजनन नीति अनुसार केन नदी घाटी के अजयगढ तहसील के साथ पन्ना में केनकथा नस्ल से चयनित प्रजनन, जोन के ग्रामीण क्षेत्रों में हरियाणा नस्ल से उन्नयन तथा शहरी क्षेत्र में जर्सी हॉलिस्टिन फ्रीजियन नस्ल से संकर प्रजनन किया जाना लक्षित है।

(vii) जोन VII पूर्वी सतपुडा का पठार

इस जोन के अन्तर्गत जिला बालाघाट एवं सिवनी जिले के लखनादोंन तहसील से पूर्वी क्षेत्र की ओर शहडोल, उमरिया, अनूपपुर जिले तक इस क्षेत्र में देशी अवर्णित नस्ल के पशु पाए जाते हैं। इस जोन के शहरी क्षेत्र में जर्सी हॉलिस्टिन फ्रीजियन से संकर प्रजनन तथा ग्रामीण क्षेत्र में थारपारकर एवं छत्तीसगढ राज्य से जुडे क्षेत्र में साहीवाल नस्ल से उन्नयन किया जाना लक्षित है। इसी प्रकार महाराष्ट्र राज्य के वर्धा, नागपुर जिलों से जुडे मध्यप्रदेश के छिंदवाडा, सिवनी, बालाघाट व बैतूल जिलों के चयनित पाकेट में गौलव नस्ल से उन्नयन किया जाना अनुशंसित है।

1.9.2.2 भैंस वंशीय पशु प्रजनन नीति

सामान्यतः प्रदेश में अवर्णित नस्ल के भैंस वंशीय पशु तथा ग्रेडेड मुर्रा पशु पाए जाते हैं। मात्र उत्तरी नदी घाटी के जिला भिण्ड में भदावरी व ग्रेडेड भदावरी भैंस वंशीय पशु पाए जाते हैं।

जोन I–

उत्तरी नदीघाटी के जिला भिण्ड एवं जिले से जुड़े ग्वालियर संभाग के जिलों के चयनित क्षेत्र में भदावरी नस्ल से उन्नयन।

जोन II–

मालवा का पठार एवं ब्रीडिंग जोन IV निमाड़ी ट्रेक्ट क्षेत्र के कुछ भाग–दक्षिण पूर्वी गुजरात से जुड़े शहरों के कुछ भाग में जाफरावादी नस्ल से उन्नयन। उपरोक्त के अतिरिक्त शेष रहे सम्पूर्ण प्रदेश में मुर्रा नस्ल से उन्नयन।

1.9.2.3 छोटे पशुओं की प्रजनन नीति

- **(i)** राज्य के उत्तरी क्षेत्र में बारबरी बकरों की नस्ल से उन्नयन तथा प्रदेश के शेष क्षेत्र में जमनापारी नस्ल से उन्नयन लक्षित है।
- **(ii)** कॉरीडेल, रेम्बोलेट की संकर भेड़ नस्ल से स्थानीय भेड़ों का उन्नयन लक्षित है।
- **(iii)** मिडिल व्हाइट यार्कशायर सूकर नस्ल से स्थानीय सूकरों का उन्नयन लक्षित है।

तालिका 1.1
प्रदेश में पशु स्वास्थ्य रक्षा एवं संवर्धन हेतु संचालित संस्थाएं

क्रमांक	संस्था का नाम	संख्या
1	राज्य स्तरीय पशु चिकित्सालय	1
2	जिला स्तरीय पशु चिकित्सालय (पॉलीक्लीनिक)	50
2	पशु चिकित्सालय	1012
3	पशु औषधालय	1585
4	चल पशु चिकित्सा इकाई	38
5	चल विरुजालय	27
6	रोग अन्वेषण प्रयोगशालाएं	42
7	मुंहखुरी रोगव्यापकी इकाई	1
8	पशु स्वास्थ्य एवं जैविक उत्पाद् संस्थान	1
9	सीरम संस्थान	1
10	उप संचालक माता महामारी (राज्य स्तर)	1
11	पशु जांच चौकी	19
12	अनुगामी इकाई	10
13	सतर्कता इकाई	7
14	सघन टीकाकरण इकाई	7
15	रोग शमन दल	2
16	पशु निरोधस्थल (क्वारनटाइन स्टेशन)	1
17	फ्रोजन सीमेन बुल स्टेशन	1
18	फ्रोजन सीमेन बैंक	7
19	मुख्य ग्राम योजना	38
20	मुख्य ग्राम इकाई	380
21	नियंत्रित पशु प्रजनन कार्यक्रम	4
22	नियंत्रित पशु प्रजनन उपकेन्द (खिलचीपुर-50,खरगौन-25,अजयगढ़-25,डिण्डोरी-25)	125
23	स्टेट पैर्टन कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	16
24	स्टेट पैर्टन कृत्रिम रेतन उपकेन्द्र	141
25	गहन पशु विकास परियोजना	17
26	गहन पशु विकास कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	60
27	गहन पशु विकास कृत्रिम गर्भाधान उपकेन्द्र	904
28	कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान	2
29	सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान	1
30	नानाजी देखमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय	1
31	पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय	3
32	पशुपालन पत्रोपाधि महाविद्यालय	5

तालिका 1.2
पशु स्वास्थ्य रक्षा की विगत तीन वर्षो की जानकारी (लाख में)

क्रं0	विवरण	2015-16	2016-17	2017-18 (माह दिसम्बर तक)
1	पशु उपचार	112.98	145.88	106.64
2	औषधि वितरण	73.25	151.38	95.07
3	टीकाकरण	240.32	426.47	408.54
3	नमूनों की जाँच	4.51	4.70	3.15

.

तालिका 1.3
पशु संवर्धन व उन्नत प्रजनन हेतु विगत तीन वर्षो की जानकारी (लाख में)

क्रं0	विवरण	2015-16	2016-17	2017-18 (माह दिसम्बर तक)
1	कृत्रिम गर्भाधान	27.25	28.23	16.63
2	कृत्रिम गर्भाधान से वत्सोत्पादन	8.59	9.42	6.04
3	प्राकृतिक गर्भाधान	5.14	5.62	4.06
4	प्राकृतिक गर्भाधान से वत्सोत्पादन	2.89	3.15	2.26
5	बधियाकरण	8.06	9.60	7.81

1.10 महत्वपूर्ण सांख्यिकीय

भारत विश्व के उन राष्ट्रों में से एक है जिनकी आर्थिकी पशुधन पर निर्भर है व सर्वाधिक गौ व भैंसवंश वाला राष्ट्र है। एकीकृत नमूना सर्वेक्षण के अनुमानित उत्पादनों के अनुसार वर्ष 2016-17 में देश में प्रदेश का दुग्ध उत्पादन में तीसरा, अण्डे उत्पादन में तेरहवां एवं मांस उत्पादन में पन्द्रहवां स्थान है।

तालिका 1.4

19वीं पशु संगणना 2012 एवं 18वीं पशु संगणना 2007 की तुलनात्मक स्थिति

क्रमांक	विवरण	19वीं पशु संगणना 2012	18वीं पशु संगणना 2007	प्रतिशत् वृद्धि / कमी
1	**गौवंशीय पशु**	1,96,02366	2,19,15,438	-10.5
2	**भैंस वंशीय पशु**	8187989	91,29,152	-10.3
3	**भेड़/भेड़ी**	3,08,953	3,89,863	-20.8
4	**बकरे/बकरियॉ**	80,13,936	90,13,687	-11.1
5	**घोड़े/घोड़ियां**	18,803	27,191	-30.8
6	**खच्चर**	6,989	2,617	+167.1
7	**गधे**	14,916	20,199	-26.2
8	**ऊँट**	3,422	4,456	-23.2
9	**सूअर**	1,75,253	1,92,941	-9.2
	कुल पशुधन	**3,63,32,627**	**4,06,95,544**	**-10.7**
10	**कुत्ते**	4,33,367	-	
11	**खरगोश**	3,679	-	
	कुल कुक्कुट	**119,04,716**	**73,84,318**	**+61.2**

''स्त्रोतः भारत सरकार की 18वीं एवं 19वीं पशु संगणना

तालिका 1.5

मध्यप्रदेश में केन्द्र प्रवर्तित योजना दूध,अण्डा एवं मांस उत्पाद् के वर्षवार ऑंकड़े

क्रं	विवरण	वर्ष				
		2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
1	दुग्धोत्पादन (000मे.टनमें)	8838	9599	10779	12148	13445
2	अण्डा उत्पादन (लाख में)	8712	9671	11776	14414	16940
3	मांस उत्पादन (000मेंटनमें)	43	48	59	70	79

स्त्रोतः- भारत सरकार की एकीकृत नमूना सर्वेक्षण योजना

तालिका 1.6

मध्यप्रदेश में केन्द्र प्रवर्तित योजना दूध, अण्डा एवं मांस उत्पाद् के वर्षवार अनुमानित प्रति व्यक्ति उपलब्धता

वर्ष	प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दुग्ध उपलब्धता (ग्राम में)	प्रति व्यक्ति वार्षिक अंडा उपलब्धता (संख्या में)	प्रति व्यक्ति वार्षिक मांस उपलब्धता (ग्राम में)
2012-13	327	12	571
2013-14	349	13	623
2014-15	386	15	765
2015-16	428	19	873
2016-17	468	22	964

1.11 विभाग द्वारा प्रसारित अधिनियम व नियम/ नीति :-

(i) मध्यप्रदेश पशुधन सुधार अधिनियम, 1950
(ii) मध्यप्रदेश कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम,1959 (यथा संशोधित 2006)
(iii) मध्यप्रदेश पशु (नियंत्रण) अधिनियम, 1976
(iv) मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास अधिनियम,1982 (यथा संशोधित 1984)
(v) मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 (यथा संशोधित 2010) नियम 2012
(vi) मध्यप्रदेश पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 संशोधन अधिनियम 2012
(vii) मध्यप्रदेश राज्य पशु चिकित्सा परिषद् नियम 1993
(viii) मध्यप्रदेश गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड नियमावली 2006
(ix) मध्यप्रदेश पशुधन विकास नीति 2011
(x) पशुओं में संक्रामक एवं संसर्गजन्य रोगों के नियंत्रण एवं रोकथाम नियम 2015

1.12 भारत सरकार द्वारा प्रसारित नियम व अधिनियम प्रदेश में लागू

1.12.1 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960

1.12.2 भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984

1.12.3 पशुओं के संक्रामक एवं संसर्गजन्य रोगों के रोकथाम अधिनियम

भाग–दो

बजट विहंगावलोकन एवं बजट प्रावधान व व्यय (योजनावार)

2.1 आयोजनेत्तर बजट एवं व्यय

(राशि ` लाख में)

वर्ष	स्वीकृत प्रावधान		व्यय	
	मांगसंख्या–14	मांगसंख्या–74	मांगसंख्या–14	मांग संख्या–74
2015–16	51561.76	356.35	43641.28	291.52
2016–17	53912.54	356.35	46457.09	317.84

2.2 आयोजना बजट एवं व्यय

(राशि ` लाख में)

वर्ष	सामान्य योजना 14+74		आदिवासी उपयोजना 41+52		विशेष घटक 64	
	प्रावधान	व्यय	प्रावधान	व्यय	प्रावधान	व्यय
2015–16	25157.47	18238.10	6628.58	3883.22	7344.65	4257.83

2.3 वित्तीय वर्ष 2016–17 बजट एवं व्यय

(राशि ` लाख में)

क्र.	योजना शीर्ष	प्रावधान	व्यय
1.	मांग संख्या 14–पशुपालन	25240.02	17731.79
2.	मांग संख्या 41– आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	11130.56	9647.33
3.	मांग संख्या 64–अनुसूचित जाति उपयोजना	7489.69	5391.50
4.	मांग संख्या 57–जल संसाधन विभागों से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	0.02	0.00
5.	मांग संख्या 61–बुन्देलखंड पैकेज से संबंधित व्यय	5082.00	5041.09
6.	मांग संख्या 74–त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	1389.27	1381.03
7.	मांग संख्या 52–आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	200.00	196.60
	योग	**50531.56**	**39389.34**

2.4 बजट एवं व्यय (आयोजना+ आयोजनेत्तर)

वित्तीय वर्ष 2017-18 **(राशि ` लाख में)**

क्रं	योजना शीर्ष	प्रावधान	व्यय (माह दिसम्बर तक)
1	मांग संख्या 14-पशुपालन	99744.69	56557.77
2	मांग संख्या 53-त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2655.62	1854.47
3	मांग संख्या 61-बुन्देलखंड पैकेज से संबंधित व्यय	798.00	502.74
	योग	**103198.31**	**58914.98**

भाग–तीन

राज्य योजनाएं तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं

3.1 हितग्राही मूलक योजनाएं

राज्य की हितग्राहीमूलक योजनाएं निम्नानुसार हैं :

3.1.1 आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना

यह योजना सभी वर्ग के हितग्राहियों के लिए है। इस योजना का उद्देश्य दुग्ध उत्पादन में वृद्धि, हितग्राहियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना, पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता में वृद्धि तथा रोजगाार के अवसर प्रदान करना है।

योजनान्तर्गत पशुपालक न्यूनतम 5या इससे अधिक पशु की योजना स्वीकृत करा सकेगा तथा परियोजना की अधिकतम सीमा राशि ` 10 लाख तक होगी। परियोजना लागत का 75% राशि बैंक ऋण के माध्यम से प्राप्त करनी होगी तथा शेष राशि की व्यवस्था मार्जिन मनी सहायता एवं हितग्राही का स्वयं के अंशदान के रुप में करनी होगी। मार्जिनमनी सहायता सामान्य वर्ग हेतु परियोजना लागत का 25%, अधिकतम राशि ` 1. 50 लाख तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हेतु परियोजना लागत का 33% , अधिकतम राशि `2 लाख। इकाई लागत के 75% पर या हितग्राही द्वारा बैंक से प्राप्त ऋण पर जो भी कम हो 5% वार्षिक ब्याज की दर से (अधिकतम राशि `25000 प्रतिवर्ष) ब्याज की प्रतिपूर्ति 7 वर्षो तक विभाग द्वारा की जाएगी। 5% से अधिक शेष ब्याज दर पर ब्याज की प्रतिपूर्ति हितग्राही को स्वयं करनी होगी।

3.1.2 बड़े पशुओं का उत्प्रेरण

3.1.2.1 नन्दीशाला योजना

योजना का उददेश्य ग्रामीण क्षेत्रों की स्थानीय अवर्णित गौवंशीय पशुओं की नस्ल सुधार हेतु देशी वर्णित नस्ल के सांडों का प्राकृतिक गर्भाधान सेवाएं हेतु पशुपालकों को अनुदान आधार पर प्रदाय करना है। योजना प्रदेश के सामान्य, आदिवासी, विशेष घटक के लिए है। योजना ग्राम पंचायत स्तर पर प्रगतिशील पशुपालकों को अनुदान के आधार पर वर्णित नस्ल गौ–सांड यथा साहीवाल, थारपारकर, हरियाणा, गिर, गौलव,मालवी,निमाड़ी, केनकथा आदि प्रदाय किए जाते हैं। प्रदेश के बाहर की नस्ल के देशी वर्णित गौ सांड हेतु योजना की इकाई लागत का मूल्य (परिवहन एवं प्रदायित सांड के प्रथम 60दिवस के लिए पशु आहार सहित) राशि ` 25720 है जिसमें प्रति इकाई अनुदान 80% तथा हितग्राही अंशदान 20% निर्धारित है। तथा प्रदेश की नस्ल के गौसांड हेतु इकाई लागत राशि ` 18260 है जिसमें प्रति इकाई अनुदान 80% तथा हितग्राही अंशदान20% निर्धारित है।

3.1.2.2 समुन्नत पशु प्रजनन कार्यक्रम (मुर्रा पाड़ा प्रदाय योजना)

योजना का उद्देश्य भैंसों में नस्ल सुधार करना है। ऐसे क्षेत्र जहाँ कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां नस्ल सुधार हेतु उन्नत नस्ल के पेडीग्रीड मुर्रा पाड़े प्रदाय कर भैसों में प्राकृतिक गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु योजना प्रारम्भ की गई है। योजना अन्तर्गत प्रगतिशील पशुपालकों प्रशिक्षित गौसेवक एवं सभी वर्ग के

लिए मध्य प्रदेश के सभी जिलों में संचालित है। इस योजना की इकाई लागत राशि ` 45000 है जिसमें सभी वर्गो को 80 प्रतिशत अनुदान एवं 20 प्रतिशत हितग्राही अंशदान का प्रावधान है।

3.1.3 छोटे पशुओं का उत्प्रेरण

3.1.3.1 बैंक ऋण एवं अनुदान पर बकरी इकाई

प्रदेश के सभी जिलों में बैक ऋण एवं अनुदान पर बकरी इकाई योजना संचालित है। योजना का उद्देश्य देशी बकरियों में नस्ल सुधार लाना, हितग्राहियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना, तथा मांस एवं दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना है। योजनार्न्गत 10 बकरी एवं 1 बकरे की इकाई प्रदाय की जाती है। योजना की लागत राशि ` 77456 है। योजना अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लिए 50 प्रतिशत अनुदान तथा सामान्य वर्ग के लिए 25 प्रतिशत अनुदान एवं 10 प्रतिशत अंशदान व शेष बैंक ऋण का प्रावधान है।

3.1.3.2 अनुदान पर नर बकरा प्रदाय

अनुदान पर बकरा प्रदाय योजना का उदद्श्य देशी बकरियों में नस्ल सुधार लाना, हितग्राहियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना, मांस तथा दुग्ध उत्पाद में वृद्धि करना है। यह योजना सभी वर्ग के बकरी पालको के लिए है। योजना की इकाई लागत राशि ` 8300 है जिसमें बकरे का मूल्य के साथ बीमा, टीकाकरण, मिनरल मिक्चर एवं कृमिनाशक सम्मिलित है। उन्नत नस्ल का नर बकरा सभी वर्ग के बकरी पालकों को 80 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराया जाता है।

अनुदान पर बकरा प्रदाय योजना का उदद्श्य देशी बकरियों में नस्ल सुधार लाना, हितग्राहियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना, मांस तथा दुग्ध उत्पाद में वृद्धि करना है। यह योजना सभी वर्ग के बकरी पालको के लिए है। योजना की इकाई लागत राशि ` 8300 है जिसमें बकरे का मूल्य के साथ बीमा, टीकाकरण, मिनरल मिक्चर एवं कृषि कृमिनाशक सम्मिलित है। उन्नत नस्ल का नर बकरा सभी वर्ग के बकरी पालकों को 80 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराया जाता है।

3.1.3.3 अनुदान पर नर सूकर प्रदाय

अनुदान पर नर सूकर योजना का उद्देश्य देशी/ स्थानीय सूकरों की नस्ल में सुधार लाकर हितग्राहियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना, तथा मांस उत्पादन में वृद्धि करना है। इस योजना की इकाई लागत राशि ` 5000 है जिसमें केवल अनुसूचित जाति के सूकर पालक को उन्नत नस्ल का नर सूकर 75 प्रतिशत अनुदान पर प्रदाय किया जाता है।

3.1.3.4 अनुदान पर सूकर त्रयी प्रदाय

अनुदान पर सूकर त्रयी योजना का उद्देश्य देशी/ स्थानीय सूकरों की नस्ल में सुधार लाकर हितग्राहियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना एवं मांस उत्पादन में वृद्धि करना है। योजना की इकाई लागत राशि ` 15000 है जिसमें केवल अनुसूचित जनजाति के सूकर पालक को उन्नत नस्ल का एक नर सूकर एवं दो मादा सूकर 75 प्रतिशत अनुदान पर प्रदाय किया जाता है।

3.1.3.5 अनुदान पर बैकयार्ड कुक्कुट इकाई प्रदाय

अनुदान पर बैकयार्ड कुक्कुट इकाई योजना का उददेश्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों में पोषण स्तर में सुधार लाने तथा अतिरिक्त आय के स्त्रोत उपलब्ध कराना है। योजना में बिना लिंग भेद वाले 28 दिवसीय 40 लो इनपुट टेक्नोलॉजी के चूजे, औषधि व परिवहन व्यय सम्मिलित है। इस योजना की इकाई लागत राशि ` 2225 है जिसमें अनुदान 80 प्रतिशत राशि ` 1780 तथा हितग्राही अंशदान 20 प्रतिशत् राशि ` 445 है।

3.1.3.6 अनुदान पर कड़कनाथ चूजों का प्रदाय

योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों कों कुक्कुट पालन के माध्यम से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने तथा कड़कनाथ नस्ल के संरक्षण के साथ-साथ उनका पोषण स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से हितग्राहियों को बिना लिंग भेद के 28 दिवसीय 40 कड़कनाथ चूजे, खाद्यान्न व औषधि, परिवहन व्यय सहित प्रदाय किए जाते है। योजना की इकाई लागत राशि ` 4400 है जिसमें 80 प्रतिशत् अनुदान राशि ` 3520 तथा हितग्राही अंशदान 20 प्रतिशत् राशि ` 880 है। यह योजना प्रदेश के 15 आदिवासी बाहुल्य जिलों में क्रमशः बड़वानी, धार, झाबुआ, सीधी, मंडला, डिण्डोरी, बालाघाट, बैतूल, खरगौन, खण्डवा, छिंदवाड़ा, रायसेन, सिवनी, रतलाम, व अनुपपुर में संचालित की जा रही है।

3.1.4 वत्सपालन प्रोत्साहन योजना

योजना का उद्देश्य प्रदेश में भारतीय देशी नस्ल के गौवंश को बढ़ावा देने के लिए पशुपालकों को प्रोत्साहित करना एवं उनके पास उपलब्ध उच्च अनुवांशिक गुणों वाले वत्सों का सरंक्षण एवं संर्वधन करना है। योजना में ऐसे पशु पालक जिनके पास भारतीय देशी उन्नत नस्ल की गाय है तथा जिनका दुग्ध उत्पादन उस नस्ल के पशुओं के औसत दुग्ध उत्पादन से 30 प्रतिशत अधिक है एवं उसका वत्स उच्च आनुवांशिक क्षमता वाले भारतीय नस्ल के सांड के वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान अथवा प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा पैदा हुआ है। ऐसी गायों के पशुपालकों को प्रोत्साहित करने के लिए राशि ` 5,000 एवं उनके वत्सों के

संरक्षण हेतु राशि ` 500 प्रतिमाह पशु आहार/औषधी के रूप में 0-4 माह की उम्र से दो वर्षो तक अनुदान के रूप में प्रदाय की जाती है। इस प्रकार योजना की इकाई लागत राशि ` 17000 है इस योजना में नर एवं मादा दोनों प्रकार के वत्स लाभान्वित हो सकेंगे।

3.1.5 गौसेवक प्रशिक्षण योजना

योजना का मुख्य उद्देश्य शिक्षित बेरोजगार ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार हेतु सक्षम बनाना एवं सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना है। योजनान्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में 10वीं उत्तीर्ण एक स्थानीय बेरोजगार युवक को छः माह का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षित गौसेवक अपने ग्राम पंचायत क्षेत्र में पशुओं को प्राथमिक उपचार प्रदान कर स्वरोजगार स्थापित करते हैं।

बारहवीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत प्रशिक्षण हेतु राशि ` 1000 प्रति माह के मान से छः माह हेतु राशि ` 6000 स्टायपेन्ड एवं राशि ` 1200 की किट, इस प्रकार कुल राशि ` 7200 प्रति गौसेवक का प्रावधान है। वर्ष 2017 दिसम्बर तक 22398 गौसेवकों को प्रशिक्षित किया गया।

3.1.6 गोपाल पुरस्कार योजना

वर्ष 2017-18 से गोपाल पुरस्कार योजना को विस्तारित करते हुए देशी नस्ल के पशुओं के पालन को बढ़ावा देने एवं अधिक दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु गौवंशीय पशुओं के साथ-साथ भैंसवंशीय दुधारू पशुओं को भी प्रतियोगिता में सम्मिलित कर योजना संचालित की गई है। योजना से देशी नस्ल के दुधारू पशुओं के पालन को प्रोत्साहन,गायों एवं भैंसों के दुग्ध उत्पादन में वृद्धि तथा पशुपालकों को अतिरिक्त आय का साधन प्राप्त होता है। योजना सभी वर्ग के पशुपालकों के लिए है जिनके पास भारतीय नस्ल की गाय और/या भैंस उपलब्ध हो तथा गाय का दुग्ध उत्पादन प्रतिदिन 4 लीटर या उससे अधिक एवं भैंस का दुग्ध उत्पादन प्रतिदिन 6 लीटर या उससे अधिक हो। योजना विकासखण्ड स्तर, जिला स्तर तथा राज्य स्तर पर संचालित की जाती है एवं इसमें विकासखण्ड स्तर पर प्रथम,द्वितीय,तृतीय पुरस्कार तथा जिला एवं राज्य स्तर पर प्रथम,द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार तथा 7 सांत्वना पुरस्कार सम्मिलित किए गए हैं।गौवंशीय एवं भैंसवंशीय दुधारू पशुओं की प्रतियोगिताएं पृथक-पृथक आयोजित की जाती हैं एवं पुरस्कार भी पृथक-पृथक होते हैं।

योजना अन्तर्गत पुरस्कार

क्रं	स्तर	पुरस्कार	पुरस्कार राशि ` (गौंवंशीय)	पुरस्कार राशि ` (भैंसवंशीय)
1	विकासखण्ड स्तर	प्रथम पुरस्कार	10,000	10,000
		द्वितीय पुरस्कार	7,500	7,500
		तृतीय पुरस्कार	5,000	5,000
2	जिला स्तर	प्रथम पुरस्कार	50,000	50,000
		द्वितीय पुरस्कार	25,000	25,000
		तृतीय पुरस्कार	15,000	15,000
		सांत्वना पुरस्कार	5,000	5,000

		(7पुरस्कार)		
3	राज्य स्तर	प्रथम पुरस्कार	2,00,000	2,00,000
		द्वितीय पुरस्कार	1,00,000	1,00,000
		तृतीय पुरस्कार	50,000	50,000
		सांत्वना पुरस्कार (7पुरस्कार)	10,000	10,000

3.1.7 आचार्य विद्या सागर जीव दया (गौसेवा) सम्मान योजना

गौसेवा, गौ संरक्षण एवं जीव दया आदि के क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों एवं संस्थानों को प्रोत्साहन एवं सम्मान प्रदान करने हेतु वर्ष 2017-18 से आचार्य विद्या सागर जीव दया (गौसेवा) सम्मान योजना एक नवीन योजना के रुप में स्वीकृत की गई है। योजना अन्तर्गत संस्थागत श्रेणी के पुरस्कार सम्मिलित किए गए हैंः

(अ) संस्थागत श्रेणी अन्तर्गत पुरस्कार

क्रं	पुरस्कार	पुरस्कार राशि `
1.	प्रथम पुरस्कार	5,00,000
2.	द्वितीय पुरस्कार	3,00,000
3.	तृतीय पुरस्कार	2,00,000
4.	सांत्वना पुरस्कार (कुल 4) (` 50000 प्रति)	2,00,000

(ब) व्यक्तिगत श्रेणी अन्तर्गत पुरस्कार

क्रं	पुरस्कार	पुरस्कार राशि `
1.	प्रथम पुरस्कार	1,00,000
2.	द्वितीय पुरस्कार	50,000
3.	तृतीय पुरस्कार	20,000

तालिका 3.1
हितग्राहीमूलक योजना के अन्तर्गत विगत तीन वर्षो की वित्तीय उपलब्धि

(राशि `. **लाख में)**

वर्ष							
क्रं	योजना का नाम	2015-16		2016-17		2017-18 (माह दिस0तक)	
		प्राप्त	व्यय	प्राप्त	व्यय	प्राप्त	व्यय (माह दिस0 तक)
1	वत्सपालन प्रोत्साहन योजना	487.91	487.91	641.62	605.88	780.64	518.95
2	अनुदान पर सांड (मुर्रा पाड़ा) प्रदाय	420.16	420.16	781.92	781.92	885.96	825.48
3	नन्दीशालाा योजना	298.00	298.00	384.56	384.56	545.00	526.53
4	अनुदान पर नर बकरा प्रदाय	399.00	399.00	363.27	363.27	249.24	216.66
5	बैंक ऋण एवं अनुदान पर बकरी इकाई का प्रदाय	217.70	217.70	229.07	229.07	514.11	448.11
6	बैंक ऋण एवं अनुदान पर डेयरी इकाई	846.59	846.59	0.00	0.00	0.00	0.00
7	अनुदान पर सूकर त्रयी/नर सूकर का प्रदाय	31.40	31.40	54.26	54.26	16.38	0.00
8	अनुदान पर बैकयार्ड कुक्कुट इकाई का प्रदाय	124.77	112.14	107.12	102.30	154.99	154.99
9	अनुदान पर कड़कनाथ चूजों का प्रदाय	32.59	24.62	42.52	39.35	86.23	86.23

वर्ष							
क्रं	योजना का नाम	2015-16		2016-17		2017-18 (माह दिस0तक)	
		प्राप्त	व्यय	प्राप्त	व्यय	प्राप्त	व्यय (माह दिस0 तक)
10	आचार्य विद्या सागर गौसंवर्धन योजना	350.00	335.23	2021.00	2021.00	2611.00	2611.00

तालिका 3.2
हितग्राहीमूलक कार्यक्रम के अन्तर्गत विगत तीन वर्षो की भौतिक उपलब्धि

		वर्ष					
क्रं0	योजना का नाम	2015-2016		2016-2017		2017-2018	
		लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति (माह दिस0 तक)
1	वत्सपालन प्रोत्साहन योजना	2872	2872	3773	3564	4592	3032
2	अनुदान पर सांड (मुर्रा पाड़ा) प्रदाय	2851	2851	2172	2172	2460	2292
3	नन्दीशालाा योजना	1825	1825	1869	1869	2650	2559
4	अनुदान पर नर बकरा प्रदाय	9980	9980	6014	6014	3757	3263
5	बैंक ऋण एवं अनुदान पर बकरी इकाई प्रदाय	1548	1548	864	864	2102	1875
6	बैंक ऋण एवं अनुदान पर डेयरी इकाई प्रदाय	2661	2661	0	0	0	0
7	अनुदान पर सूकर त्रयी/नर सूकर का प्रदाय	837	837	864	864	434	0
8	अनुदान पर बैकयार्ड कुक्कुट इकाई का प्रदाय	10398	8226	6014	5743	8708	4650
9	अनुदान पर कड़कनाथ चूजों का प्रदाय	1940	1455	1208	1118	2450	1325
10	आचार्य विद्या सागर गौसंवर्धन योजना	2550	2048	1375	1300	1591	1591 प्रकरण स्वीकृत

3.2 पशु चिकित्सा सेवाओं का विस्तार

योजनान्तर्गत 3 घटक संचालित हैः

3.2.1 पशु औषधालय का पशु चिकित्सालय में उन्नयन

योजना का मुख्य उद्देश्य पशुपालकों को गुणवत्तायुक्त पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने हेतु पशु औषधालयों का पशु चिकित्सालयों में उन्नयन किया जाता है योजना की इकाई लागत राशि ` 15.50 लाख है। जिसमें अधोसरंचना विकास हेतु राशि `8.60लाख, फर्नीचर हेतु राशि `0.25 लाख, उपकरण हेतु राशि `.0.50लाख, औषधि प्रदाय हेतु राशि `.0.25 लाख एवं वेतन-भत्ते हेतु राशि `. 5.90लाख प्रावधानित है।

3.2.2 नवीन पशु औषधालय की स्थापना योजनान्तर्गत पशुपालकों को कम दूरी पर पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने हेतु नवीन पशु औषधालय की स्थापना की जाती है। योजना की इकाई लागत राशि `9.12 लाख जिसमें अधोसरंचना विकास हेतु राशि `6.60 लाख, फर्नीचर हेतु राशि `0.20 लाख, उपकरण हेतु राशि `0.25 लाख, औषधि प्रदाय हेतु राशि ` 0.15 लाख एवं वेतन-भत्ते हेतु राशि `1.92 लाख प्रावधानित है।

3.2.3 अनुबंध के आधार पर चल पशु चिकित्सा इकाइयो का संचालन

यह योजना प्रदेश के 89 आदिवासी विकासखण्डों में पशुपालकों को घर पहुंच पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है। चल पशु चिकित्सा इकाईयों का संचालन बाहरी एजेंसी के माध्यम से किया जा रहा है।

3.3 भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला की स्थापना

भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला वर्ष 2013 मार्च में प्रारम्भ की गई। राज्य शासन द्वारा आयोजना मद से 12वीं पंचवर्षीय योजना काल के लिए भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीकि प्रयोगशाला भदभदा भोपाल की स्थापना हेतु कुल राशि ` 10.00 करोड़ की परियोजना स्वीकृत की गई थी। इस भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीकि प्रयोगशाला की स्थापना का उद्देश्य उच्च अनुवांशकीय गुणवत्ता वाली गाय से उसके सम्पूर्ण प्रजनन काल में अधिक से अधिक संतति प्राप्त करना, अधिक उत्पादन वाले पशुओं की संख्या में तेजी से वृद्धि कर दुग्ध उत्पादन बढ़ाना, केन्द्रीय वीर्य संस्थान के द्वारा गायों की नस्ल सुधार के लिए हिमीकृत वीर्य उत्पादन हेतु उच्च अनुवांशिक क्षमता के साड़ों का उत्पादन, गाय की देशी नस्लों का संरक्षण एवं संवर्धन, प्रजनन की चयन पद्धति से देशी दुधारु गायों की नस्ल साहीवाल एवं गिर नस्ल में उन्नयन कर दुग्ध उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना। इसके अतिरिक्त इस तकनीक द्वारा उच्च गुणवत्ता वाली डोनर गायों को चयनित कर हारमोन्स की मदद से सुपर ओवूलेट किया जाता है तत्पश्चात उच्च अनुवांशिक क्षमता वाले सांड़ के हिमीकृत वीर्य द्वारा उसका गर्भाधान कराया जाता है। गर्भाधान के सातवें दिन गर्भाशय से भ्रूण निकाले जाकर रेशीपियंट गायों में प्रत्यारोपित कर दिए जाते हैं अथवा हिमीकृत कर सुरक्षित कर दिए जाते हैं। प्रयोगशाला पर वर्ष 2017-18 माह दिसम्बर तक 96 भूण संकलित तथा प्रत्यारोपित किए गए।

3.4 पशु आश्रय स्थल आसरा

निराश्रित पशुओं को उपचार व आश्रय उपलब्ध कराने के उददेश्य से पशु आश्रय स्थल आसरा भोपाल में ''आसरा'' के नाम से यह योजना प्रारम्भ की गई है।

आसरा के उद्देश्य

(i) घायल बीमार निराश्रित पशु पक्षियों को प्रतिकूल वातावरण जैसे तेज धूप, गर्म हवा, बरसात से बचा कर सुरक्षित रखने की व्यवस्था एवं उनके खान-पान तथा उचित उपचार की व्यवस्था जब तक वे पूर्ण रूप से स्वस्थ न हो जाए।

(ii) घायल पशु-पक्षियों को जंगली एवं हिसंक जानवरों से सुरक्षा कर आश्रय देना।

(iii) उपयोगी बेसहारा पशु पक्षियों को पूर्णतः स्वस्थ होने के उपरान्त स्वयं सेवा संस्थाओं, इच्छुक पशु पालकों को उनकी स्वेच्छा से रखने की स्थिति में उन तक पहुॅचना जिससे उनकी उपयोगिता सिद्ध हो सके।

(iv) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के अनुपालन में सहयोग करना।

(v) एंटीरेबीज टीकाकरण कार्यक्रम का प्रचार-प्रसार तथा सहयोग।

(vi) जागरूकता शिविरों का आयोजन ।

(vii) बड़े पशुओं का टीकाकरण सुनिश्चित करने हेतु प्रोत्साहित करना।

(viii) पशु-पक्षियों के कल्याण हेतु अन्य ऐसे सभी कार्यो को जो उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति कर सके।

(ix) पशु आश्रय स्थल की गतिविधियों का प्रचार-प्रसार करना।

(x) छोटे पशु (श्वानों) के लिए जन्म नियंत्रण कार्यक्रम प्रोत्साहित करना साथ ही नगर निगम के सहयोग से श्वानों की नसबंदी एवं एंटीरैबीज का टीकाकरण भी किया जाता है, ताकि क्षेत्र को रैबीज रोग से मुक्त रखा जा सके।

3.5 पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय

प्रदेश में पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना 3नवम्बर 2009 को जबलपुर में की गई थी।इस विश्वविद्यालय अन्तर्गत पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय जबलपुर महू एवं रीवा आते हैं। कुक्कुट प्रक्षेत्र जबलपुर एवं वृषभ पालन केन्द्र आमानाला जबलपुर जो कि पहले पशुपालन विभाग के अन्तर्गत आते थे उन्हे पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय को हस्तान्तरित किया गया है। विश्वविद्यालय अन्तर्गत तीनों महाविद्यालयों में बी.व्ही.एस.सी एण्ड ए.एच की स्नातक डिग्री प्रदाय की जाती है तथा पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय जबलपुर एवं महू में एम.व्ही.एस.सी एण्ड ए.एच की स्नातकोत्तर डिग्री प्रदाय की जाती है। वर्ष 2011-12 से विश्वविद्यालय द्वारा जबलपुर महू, रीवा, भोपाल में तथा मुरैना में डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया गया है।

3.6 ई-वेट परियोजना

पशुपालकों को सूचना तकनीक का प्रयोग करते हुए कम लागत में घर पहुँच पशु उपचार सुविधा उपलब्ध कराने हेतु ई-वेट परियोजना प्रारम्भ की गई है। उक्त परियोजना के तहत् पैरावेट्स पशुपालक से सूचना प्राप्त होने पर रोगी पशु का परीक्षण करने के उपरान्त सूचना तकनीक का प्रयोग करते हुए पशु चिकित्सक को रोगी पशु के लक्षण आदि से अवगत कराएंगे। पशु चिकित्सक उपरोक्त जानकारी ऑनलाइन प्राप्त होने

पर पशु उपचार पर्ची इलेक्ट्रानिकली ऑन लाइन जारी करेंगे जिसके आधार पर पैरावेट रोगी पशु का उपचार करेगा। इस तकनीक के माध्यम से पशुपालकों को गुणवत्ता पूर्ण एवं पशु चिकित्सक के ऑन-लाईन पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन में पशु उपचार प्राप्त होता है।

तालिका 3.3
राज्य योजना के अन्तर्गत विगत तीन वर्षो की वित्तीय उपलब्धि

(राशि ` लाख में)

क्रं	योजना का नाम	वर्ष					
		2015-16		2016-17		2017-18	
		प्राप्त	व्यय	प्राप्त	व्यय	प्राप्त	व्यय (माह दिस0तक)
1	पशु चिकित्सा विस्तार कार्यक्रम	2328.75	1980.37	2394.00	2137.00	2422.00	1186.36
2	अधोसंरचना विकास	510.00	510.00	635.70	635.50	254.00	230.80

तालिका 3.4
राज्य योजनान्तर्गत विगत तीन वर्षो की भौतिक उपलब्धि

क्रं	योजना का नाम	वर्ष					
		2015-2016		2016-2017		2017-2018	
		लक्ष्य	लक्ष्य	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति (माह दिस0तक)
1	पशु चिकित्सा विस्तार कार्यक्रम (नवीन पशु औषधालयों की स्थापना एवं पशु औषधालयों का पशु चिकित्सालयों में उन्नयन)	76	74	23	23	77	0
2	अधोसंरचना विकास	34	34	50	50	26	26

3.7 केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं

3.7.1 राष्ट्रीय पशुधन मिशन (National Live Stock Mission)

भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 में 7 केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं एवं 7 केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनाओं को सम्मिलित कर आवश्यक संशोधन करते हुए राष्ट्रीय पशुधन मिशन (National Livesstock Mission) तैयार किया गया है। भारत शासन द्वारा जारी किए गए दिशा–निर्देश एवं संयुक्त सचिव भारत सरकार पशुपालन डेयरी एवं मत्स्यपालन विभाग कृषि भवन नई दिल्ली के पत्र कमांक 2–47/2009–/FF, दिनांक 06.06.2014 के अनुसार राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अन्तर्गत आवश्यक समिति गठन, गतिविधि क्रियान्वयन एवं आवश्यक दिशा–निर्देश जारी किए गए है।

राष्ट्रीय पशुधन मिशन के उद्देश्य निम्नानुसार हैं–

- **(i)** कुक्कुट को सम्मिलित करते हुए पशुधन क्षेत्र का समग्र एवं स्थाई विकास।
- **(ii)** भौगोलिक आवश्यकता के अनुसार खाद्य,चारा बीज की मांग एवं पूर्ति के अन्तर में कमी करना, चारा उत्पादन का रकबा बढाना, विस्तार कार्य एवं कटाई के बाद का प्रबन्धन करना तथा चारे की विविध जलवायु क्षेत्रों के अनुरुप प्रोसेसिंग करना।
- **(iii)** कृषकों की सक्रिय भागीदारी (कृषक सहकारिता, बीज निगम, एवं निजी क्षेत्र के उद्यमी को सम्मिलित करते हुए) प्रभावी चारा उत्पादन श्रृंखला के द्वारा गुणवत्तापूर्ण खाद्य एवं चारा बीज उत्पादन बढ़ाना।
- **(iv)** स्थाई एवं समग्र पशुधन विकास के लिए चल रही योजनाओं एवं उसके विभिन्न साझेदारों के बीच समन्वय एवं सहयोगिता बढ़ाना।
- **(v)** पशु पोषण एवं पशु उत्पादन के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में व्यवहारिक अनुसंधान को बढ़ावा देना।
- **(vi)** पशुपालकों को गुणवत्तापूर्ण विस्तार सेवाएं प्रदान करने के लिए शासकीय कर्मचारियों एवं कृषकों को प्रशिक्षित करना।
- **(vii)** पशुधन की उत्पादकता बढ़ाने एवं उत्पादन लागत कम करने के लिए कौशल संवर्धन हेतु प्रशिक्षण एवं तकनीकि का कृषकों तक विस्तार करना।
- **(viii)** कृषक तथा कृषक समूह सहकारिता द्वारा देशी नस्लों के संरक्षण एवं जेनेटिक उन्नयन के पहल को बढ़ावा देना। (बोवाइन को छोड़कर)
- **(ix)** स्माल एवं मार्जिनल कृषकों एवं कृषकों व कृषक समूह तथा सहकारिता/ उत्पादन कम्पनियों के निर्माण को बढ़ावा देना।
- **(x)** पशुधन क्षेत्र से संबंधित मौलिक पायलट प्रोजेक्ट को बढ़ावा देना एवं सफल पायलट प्रोजेक्ट का विस्तार करना।
- **(xi)** कृषक के उद्यम की मार्केटिंग, प्रसंस्करण तथा मूल्य वृद्धि के लिए अधोसंरचना एवं रुप–रेखा तैयार करना।
- **(xii)** जोखिम प्रबंधन के उपायों को बढावा देने के साथ कृषकों को पशुधन बीमा की सुविधा देना।
- **(xiii)** पशुओ में बीमारियों की रोकथाम को बढ़ावा देना, पर्यावरण प्रदूषण रोकना,खाद्य

सुरक्षा, गुणवत्ता के प्रयासों को बढ़ावा देना। पशु शव का समय पर उपयोग करते हुए उत्तम गुणवत्ता का चमड़ा उपलब्ध कराने के प्रयासों को बढ़ावा देना।

(xiv) पशुपालन गतिविधियों में सामूहिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना, नस्ल संरक्षण में समुदाय की सहभागिता को बढ़ावा देना एवं राज्य के संसाधनों को बढ़ाने के लिए रूप-रेखा तैयार करना।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय पशुधन मिशन को चार उप-मिशन की गतिविधियों के अनुसार संचालित किया जा रहा है-

1. उप-मिशन - पशुधन विकास
2. उप-मिशन - पूर्वोत्तर क्षेत्र में सूकर विकास
3. उप-मिशन - पशु खाद्य एवं चारा विकास
4. उप-मिशन - दक्षता संवर्धन, तकनीकि हस्तानांतरण एवं विस्तार

प्रदेश में उप-मिशन अन्तर्गत निम्न योजनाऐं संचालित की जा रही है-

3.7.1.1 राष्ट्रीय पशुधन मिशन ग्रामीण बैकयार्ड कुक्कुट विकास योजना

भारत सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले समस्त वर्गो के हितग्राहियों के लिए 100 प्रतिशत अनुदान पर यह योजना वर्ष 2010-11 से मध्यप्रदेश में प्रारम्भ की गई है। वर्ष 2014 से इस योजना को संशोधित कर राष्ट्रीय पशुधन मिशन में सम्मिलित कर 75 प्रतिशत केन्द्रांश व 25 प्रतिशत राज्यांश पर संचालित किया गया। वर्ष 2016-17 से यह योजना 60 प्रतिशत् केन्द्राश व 40प्रतिशत् राज्यांश पर संचालित की जा रही है। योजना की इकाई लागत् राशि ` 3,525 है।

योजनान्तर्गत प्रत्येक हितग्राही को बिना लिंग भेद के 4 सप्ताह के लो इनपुट टेक्नॉलोजी वाले 45 पक्षी तीन चरणों में क्रमशः 25 व 20 चूजे मदर यूनिट के माध्यम से प्रदाय किए जाते हैं। साथ ही पक्षियों के लिए दढ़बा बनाने हेतु राशि ` 1,500 दिए जाने का प्रावधान है जो सीधे हितग्राही के खाते में जमा किए जाते हैं।

एक मदर यूनिट से 300 हितग्राहियों को चूजे प्रदाय किए जाते है मदर यूनिट के हितग्राही को राशि ` 60,000 अनुदान दिए जाने का प्रावधान है जो सीधे उनके खाते में जमा किया जाता है। मदर यूनिट के हितग्राही को 4 सप्ताह के चूजों की राशि ` 45 प्रति चूजा का भुगतान उनके द्वारा चूजे बी. पी. एल. हितग्राहियों को प्रदाय उपरान्त जिले के उप संचालक द्वारा किया जाता है।

3.7.1.2 रिस्क मैनेजमेंट एवं पशुधन बीमा

योजना का उद्देश्य पशुपालकों को उनके पशुओं हेतु बीमे की सुविधा प्रदान कर, दुधारू/गैर-दुधारू पशुओं की मृत्यु से होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति करना एवं होने वाली आर्थिक हानि को रोकना है। योजना का क्रियान्वयन मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम द्वारा किया जा रहा है।

भारत सरकार वर्ष 2014-15 से योजना को रिस्क मैनेजमेंट के रुप में राष्ट्रीय पशुधन मिशन (National Livesstock Mission) में शामिल किया है जिसमें प्रदेश के समस्त जिले सम्मिलित हैं। योजनांतर्गत सभी प्रकार के पशुओं का बीमा दुधारू देशी/संकर गाय व भैंस, अन्य पशु जैसे घोडा, गधा, ऊंट, नर गौवंश व भैंसवंश, बकरी, भेड़, सूकर,

खरगोश आदि पशुओं का बीमा कर लाभान्वित किए जाने का प्रावधान है। अब यह योजना गरीबी रेखा से ऊपर वाले हितग्राहियों हेतु केंद्रांश 25 प्रतिशत, राज्यांश 25 प्रतिशत एवं 50 प्रतिशत हितग्राही अंशदान से तथा अनुसूचित जाति, जनजाति, गरीबी रेखा से नीचे वाले हितग्राहियों हेतु केंद्रांश 40 प्रतिशत, राज्यांश 30 प्रतिशत एवं 30 प्रतिशत हितग्राही अंशदान पर संचालित की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में माह दिसम्बर तक 23,159 पशुओं का बीमा किया गया है।

3.7.2 एकीकृत नमूना सर्वेक्षण

यह योजना केन्द्रांश व राज्यांश के 50:50 के अनुपात में वित्त पोषित है। इस योजनान्तर्गत एकीकृत नमूना सर्वेक्षण के आधार पर दूध, अण्डा, ऊन व मांस जैसे प्रमुख पशुधन उत्पादों के उत्पादन का आंकलन किया जाता है। भारत सरकार के निर्देशानुसार पशुधन उत्पाद का आंकलन ऋतुवार तथा वार्षिक आधार पर किया जाता है।

3.7.3 राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण

केन्द्र व राज्य शासन के कमशः 60:40 के अनुपात में वित्तीय प्रबन्ध के आधार पर यह योजना संचालित है। इस योजनान्तर्गत आर्थिक रुप से महत्वपूर्ण पशुधन व कुक्कुट रोगों के नियंत्रण के लिए टीकाकरण, पशु स्वास्थ्य एवं जैविक उत्पाद संस्थान, पशु रोग अनुसंधान प्रयोग शालाओं के सुदृढ़ीकरण, पशु चिकित्सा संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण विभिन्न संक्रामक बीमारियों के नियंत्रण हेतु कार्यक्रम, पशु चिकित्सकों व पैरावेट को सेवाकालीन प्रशिक्षण का प्रावधान आदि रहता है। इस योजना के निम्नलिखित घटक हैं:

3.7.3.1 पशु रोगों के नियंत्रण हेतु राज्यों को सहायता

3.7.3.2 व्यवसायिक दक्षता कार्यक्रम

3.7.3.3 पशु चिकित्सालयों एव औषधालयों की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण

3.7..3.4 एफ.एम.डी. नियंत्रण कार्यक्रम

3.7..3.5 पी.पी.आर. नियंत्रण कार्यक्रम

3.7..3.6 मातामहामारी के सर्वेक्षण एवं मॉनीटरिंग हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम

3.7..3.7 एन.ए.डी.आर.एस.

3.7.4 मैत्री योजना

यह योजना भारत सरकार द्वारा एनपीबीबी योजनान्तर्गत वर्ष 2014-15 से संचालित है। इस योजना के तहत गौसेवकों को 4 माह का कृत्रिम गर्भाधान का प्रशिक्षण दिया जाता है जिसमें 1 माह का सैद्धांतिक प्रशिक्षण कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थाओं में एवं 3 माह का प्रायोगिक प्रशिक्षण जिलों के कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों/पशु चिकित्सालयों में दिया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान प्रति प्रशिक्षणार्थी राशि ` 4000 प्रतिमाह के हिसाब से कुल 4 माह की प्रशिक्षण अवधि हेतु कुल राशि ` 16000 स्टाईफंड के रूप में दी जाती है। प्रशिक्षण उपरांत उन्हें कृत्रिम गर्भाधान किट प्रदाय की जाती है ताकि वे क्षेत्र में जाकर कृत्रिम गर्भाधान कार्य एवं अन्य कार्य प्रारंभ कर सके।

मैत्री द्वारा कार्य प्रारंभ करने के उपरांत उन्हे 3 वर्षो के लिए टेपरिंग ग्रांट दिए जाने का प्रावधान है जिसमें प्रथम वर्ष में राशि ` 1500 प्रति माह, द्वितीय वर्ष में राशि

` 1200 प्रतिमाह एवं तृतीय वर्ष में राशि ` 800 प्रतिमाह टेपरिंग ग्रांट के रूप में दी जाती है।

3.7.5 पशु संगणना

केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनान्तर्गत मध्यप्रदेश राज्य में 20वीं पशु संगणना भारत सरकार के निर्देशन में संदर्भ तिथि 16 जुलाई 2017 से 15 अक्टूबर 2017 के मध्य प्रदेश के सभी आबाद ग्रामों में परिवारों के सूचीबद्ध के साथ गणना कार्य सम्पन्न कराया जाना प्रस्तावित था जो भारत सरकार के निर्देशानुसार पुनः संदर्भ तिथि प्राप्ति पश्चात् सम्पन्न कराया जाएगा।

` 20वी पशु संगणना 2017 हेतु संगणना कार्य में संलग्न होने वाले प्रगणकों/ सुपरवाईजरों/जांच अधिकारी की नियुक्ति बावत् प्रगणकों/ सुपरवाईजरों/ जांच अधिकारी के कोड तथा LG Directory अनुसार आबाद ग्रामों की सूची कोड सहित भारत सरकार को उपलब्ध करा दी गई है।

3.7.6 बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज

बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज के अन्तर्गत 6 जिलों क्रमशः सागर, दमोह, टीकमगढ, छतरपुर, पन्ना, दतिया सम्मिलित किए गए हैं। बुन्देलखण्ड क्षेत्र के पशुपालको को लाभान्वित एवं रोजगार उपलब्ध कराने हेतु डेयरी विकास कार्यक्रम एवं नस्ल सुधार कार्यक्रम जैसे कार्यो को लिया गया है। भारत सरकार से प्रथम चरण में ए.सी.ए. (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) घटक में राशि ` 80.70 करोड़ विभाग को प्राप्त हुए हैं जिसका शत-प्रतिशत उपयोग किया गया है।

इसी प्रकार बारहवीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज के द्वितीय चरण में विभाग हेतु राशि ` 80 करोड़ की योजनाएं भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई। योजनन्तर्गत वित्तीय वर्ष हेतु राशि `10करोड़ एवं अद्यतन स्थिति में कुल राशि ` 78.87 करोड़ विमुक्त की गई है। विभाग द्वारा दिसम्बर 2017 तक गतिविधियों की क्रियान्वयन एजेन्सी क्रमशः मध्यप्रदेश राज्य दुग्ध सहकारी संघ मर्यादित, मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम तथा उप संचालक कार्यालयों को कुल राशि ` 73.49 करोड़ उपलब्ध कराई गई है जिसमें से राशि ` 65.64 करोड़ व्यय किया जा चुका है।

तालिका 3.5

बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज के अन्तर्गत प्रगति

प्रथम चरण

क्रं.	गतिविधि	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगति	उपलब्धि प्रतिशत
1	म0प्र0राज्य सहकारी दुग्ध संघ द्वारा डेयरी डेवलपमेंट एक्टीविटी– डेयरी सोसाइटी का गठन बल्क मिल्क कूलर डेयरी प्लांट का सुदृढ़ीकरण सदस्यता दुग्ध संकलन किग्रा/दिन	 500 9 1 15000 25000	 561 14 1 17664 28042	100
2	मुर्रा सांड प्रदाय	2403	2403	100
3	बकरी इकाई प्रदाय	5296	5296	100
4	फॉडर बैंक की स्थापना	3	3	100
5	मिनौरा जिला टीकमगढ में बकरी प्रक्षेत्र की स्थापना	1	1	100
6	एन.जी.ओ के माध्यम से पशुधन विकास केन्द्रों की स्थापना	111	111	100
7	म.प्र.राज्य सहकारी दुग्ध संघ द्वारा पशु आहार संयंत्र की स्थापना तथा दुग्ध उत्पाद के विपणन कार्य	1	संयंत्र प्रारंभ	100

बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज के अन्तर्गत प्रगति

द्वितीय चरण

क्रं.	गतिविधि	भौतिक प्रगति	रिमार्क
1	म0प्र0राज्य सहकारी दुग्ध संघ द्वारा डेयरी डेवलपमेंट एक्टीविटी(प्रथम चरण में गठित समितियों का सुदृढ़ीकरण, अनुश्रवण, प्रशिक्षण) समिति सचिव टैस्टर पशु स्वास्थ्य रक्षक प्रशिक्षण 138कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों में गर्भाधान चैफ कटर वितरण	 551 426 138 206831 1476	
2	रतौना जिला सागर में तरल नत्रजन संयंत्र की स्थापना	संयंत्र स्थापित	तरल नत्रजन उत्पादन एवं वितरण बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 6जिलों में किया जा रहा है।
3.	रतौना जिला सागर में कृषक एवं कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना	निर्माणाधीन	जून 2018 तक स्थापना
4.	मुर्रा नर वत्स संगोपन इकाई की स्थापना(रतौना जिला सागर,मिनौरा जिला टीकमगढ़ एवं दतिया में)	1286	1286 संगोपित मुर्रा नर प्रदाय, रतौना एवं मिनौरा में निर्माण कार्य पूर्ण
5.	ट्रेविस एवं शेड की स्थापना (1000पंचायतों में)	548 पूर्ण	शेष 452 पंचायतों में मार्च 2018 तक पूर्ण होना प्रस्तावित
6.	दतिया जिले में सीमेन स्टेशन की स्थापना	निर्माणाधीन	मार्च 2018 तक पूर्ण होना प्रस्तावित
7.	त्वरित चारा विकास कार्यक्रम	16504हेक्टेयर	16504हेक्टेयर में चारा उत्पादन कार्यक्रम

3.7.7 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

तालिका 3.6

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की विगत तीन वर्षो की वित्तीय स्थिति

(राशि ` करोड में)

विवरण	2015-16	2016-17	2017-18
एस.एल.एस.सी. द्वारा स्वीकृत	67.39	114.52	98.41
पशुपालन विभाग को विमुक्त राशि	42.13	62.55	25.03
व्यय	42.13	62.06	16.47 (दिसम्बर तक)
शेष	**0.00**	**0.49**	**8.56**

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2017-18 में किए गए कार्यः

(i) बैतूल डेयरी डॉक को बल्क मिल्क कूलर स्थापना के माध्यम से कैन मुक्त करना

इस परियोजना की कुल **लागत** राशि ` 290.29 लाख वर्ष 2017-18 के लिए स्वीकृत है । परियोजनान्तर्गत 2000 लीटर क्षमता के 24 तथा 1000 लीटर क्षमता के 5 बल्क कूलर (कुल 29 बल्क कूलर) स्थापित किए जाएंगे । इसके अतिरिक्त संबंधित दुग्ध समिति में 29 Automatic Milk Collection Units प्रदाय किए जाएंगे। दुग्ध समितियों से जुड़े 10,000 दुग्ध उत्पादक के माध्यम से वर्तमान दूध संकलन में 10 प्रतिशत वृद्धि संभावित होगी । परियोजना द्वारा शीतलीकरण क्षमता में वृद्धि, प्रति लीटर दुग्ध संकलन परिवहन लागत में राशि ` 14.60 लाख की वार्षिक बचत, दुग्ध शीतलीकरण व्यय, अनुत्पादक व्ययों में कमी आदि परिलक्षित होंगे। परियोजनान्तर्गत दिनांक 11.07.2017 को राशि ` 145.00 लाख प्राप्त हुए। कार्यवाही प्रचलन में है।

(ii) इंदौर डेयरी संयंत्र स्थित आरएमआरडी को बल्क मिल्क कूलर स्थापना के माध्यम से कैन मुक्त करना

इस परियोजना की कुल लागत राशि ` 754.00 लाख वर्ष 2017-18 के लिए स्वीकृत है । परियोजनान्तर्गत 2000 लीटर क्षमता के 29 तथा 1000 लीटर क्षमता के 59 बल्क कूलर (कुल 88 बल्क कूलर) स्थापित किए जाएंगे । इसके अतिरिक्त संबंधित दुग्ध समिति में 30 Automatic Milk Collection Units प्रदाय किए जाएंगे। दुग्ध समितियों से जुड़े 10,000 दुग्ध उत्पादक के माध्यम से वर्तमान दूध संकलन में 10 प्रतिशत वृद्धि संभावित होगी । परियोजना द्वारा शीतलीकरण क्षमता में वृद्धि, प्रति लीटर दुग्ध संकलन परिवहन लागत में राशि ` 45.32 लाख

की वार्षिक बचत, दुग्ध शीतलीकरण व्यय, अनुत्पादक व्ययों में कमी आदि परिलक्षित होंगे । भारत सरकार द्वारा योजना की राशि अभी विमुक्त नहीं की गई है।

(iii) आगर शीतकेन्द्र स्थित आरएमआरडी को बल्क मिल्क कूलर स्थापना के माध्यम से कैन मुक्त करना

इस परियोजना की कुल लागत राशि ` 188.50 लाख वर्ष 2017-18 के लिए स्वीकृत है । परियोजनान्तर्गत 2000 लीटर क्षमता के 01 तथा 1000 लीटर क्षमता के 24 बल्क कूलर (कुल 25 बल्क कूलर) स्थापित किए जाएंगे । दुग्ध समितियों से जुड़े 5,100 दुग्ध उत्पादक के माध्यम से वर्तमान दूध संकलन में 15 प्रतिशत वृद्धि संभावित होगा । परियोजना द्वारा शीतलीकरण क्षमता में वृद्धि, प्रति लीटर दुग्ध संकलन परिवहन लागत में राशि ` 6.09 लाख की वार्षिक बचत, दुग्ध शीतलीकरण व्यय, अनुत्पादक व्ययों में कमी आदि परिलक्षित होंगे । भारत सरकार द्वारा योजना की राशि अभी विमुक्त नहीं की गई है।

(iv) आलोट शीतकेन्द्र स्थित आरएमआरडी को बल्क मिल्क कूलर स्थापना के माध्यम से कैन मुक्त करना

इस परियोजना की कुल **लागत** राशि ` 101.74 लाख वर्ष 2017-18 के लिए स्वीकृत है। परियोजनान्तर्गत 2000 लीटर क्षमता के 03 तथा 1000 लीटर क्षमता के 10 बल्क कूलर (कुल13बल्क कूलर) स्थापित किए जाएंगे । दुग्ध समितियों से जुड़े 2,400 दुग्ध उत्पादक के माध्यम से वर्तमान दूध संकलन में 15 प्रतिशत वृद्धि संभावित होगा। परियोजना द्वारा शीतलीकरण क्षमता में वृद्धि, प्रति लीटर दुग्ध संकलन परिवहन लागत में राशि ` 5.78 लाख की वार्षिक बचत, दुग्ध शीतलीकरण व्यय, अनुत्पादक व्ययों में कमी आदि परिलक्षित होंगे । परियोजनान्तर्गत दिनांक 11.07.2017 को राशि ` 101.74 लाख प्राप्त हुई । कार्यवाही प्रचलन में है।

(v) मनासा शीतकेन्द्र स्थित आरएमआरडी को बल्क मिल्क कूलर स्थापना के माध्यम से कैन मुक्त करना

इस परियोजना की कुल **लागत** राशि ` 127.18 लाख वर्ष 2017-18 के लिए स्वीकृत है। परियोजनान्तर्गत 2000 लीटर क्षमता के 05 तथा 1000 लीटर क्षमता के 11 बल्क कूलर (कुल16 बल्क कूलर) स्थापित किए जाएंगे । दुग्ध समितियों से जुड़े 5,000 दुग्ध उत्पादक के माध्यम से वर्तमान दूध संकलन में 15 प्रतिशत वृद्धि संभावित होगी। परियोजना द्वारा शीतलीकरण क्षमता में वृद्धि, प्रति लीटर दुग्ध संकलन परिवहन लागत में राशि ` 10.71 लाख की वार्षिक बचत, दुग्ध शीतलीकरण व्यय, अनुत्पादक व्ययों में कमी आदि परिलक्षित होंगे । भारत सरकार द्वारा योजना की राशि अभी विमुक्त नहीं की गई है।

(vi) शाजापुर शीतकेन्द्र स्थित आरएमआरडी को बल्क मिल्क कूलर स्थापना के माध्यम से कैन मुक्त करना

इस परियोजना की कुल लागत राशि ` 236.40 लाख वर्ष 2017-18 के लिए स्वीकृत है । परियोजनान्तर्गत 2000 लीटर क्षमता के 08 तथा 1000 लीटर क्षमता के 22 बल्क कूलर (कुल 30 बल्क कूलर) स्थापित किए जाएंगे । दुग्ध समितियों से जुड़े 6,500 दुग्ध उत्पादक के माध्यम से वर्तमान दूध संकलन में 15

प्रतिशत वृद्धि संभावित होगी । परियोजना द्वारा शीतलीकरण क्षमता में वृद्धि, प्रति लीटर दुग्ध संकलन परिवहन लागत में राशि ` 6.24 लाख की वार्षिक बचत, दुग्ध शीतलीकरण व्यय, अनुत्पादक व्ययों में कमी आदि परिलक्षित होंगे। परियोजनान्तर्गत दिनांक 11.07.2017 को राशि ` 100.00 लाख प्राप्त हुई । कार्यवाही प्रचलन में है।

(vii) शामगढ़ शीतकेन्द्र स्थित आरएमआरडी को बल्क मिल्क कूलर स्थापना के माध्यम से कैन मुक्त करना

इस परियोजना की कुलल राशि ` 213.96 लाख वर्ष 2017-18 के लिए स्वीकृत है। परियोजनान्तर्गत 2000 लीटर क्षमता के 08 तथा 1000 लीटर क्षमता के 19 बल्क कूलर (कुल 27 बल्क कूलर) स्थापित किए जाएंगे । दुग्ध समितियों से जुड़े 3,500 दुग्ध उत्पादक के माध्यम से वर्तमान दूध संकलन में 15 प्रतिशत वृद्धि संभावित होगी । परियोजना द्वारा शीतलीकरण क्षमता में वृद्धि, प्रति लीटर दुग्ध संकलन परिवहन लागत में राशि ` 4.40 लाख की वार्षिक बचत, दुग्ध शीतलीकरण व्यय, अनुत्पादक व्ययों में कमी आदि परिलक्षित होंगे । भारत सरकार द्वारा योजना की राशि अभी विमुक्त नहीं की गई है।

(viii) उज्जैन डेयरी संयंत्र स्थित आरएमआरडी को बल्क मिल्क कूलर स्थापना के माध्यम से कैन मुक्त करना

इस परियोजना की कुल लागत राशि ` 314.18 लाख वर्ष 2017-18 के लिए स्वीकृत है। परियोजनान्तर्गत 2000 लीटर क्षमता के 05 तथा 1000 लीटर क्षमता के 36 बल्क कूलर (कुल41बल्क कूलर) स्थापित किए जाएंगे । दुग्ध समितियों से जुड़े 9,000 दुग्ध उत्पादक के माध्यम से वर्तमान दूध संकलन में 20 प्रतिशत वृद्धि संभावित होगी। परियोजना द्वारा शीतलीकरण क्षमता में वृद्धि, प्रति लीटर दुग्ध संकलन परिवहन लागत में राशि ` 52.87 लाख की वार्षिक बचत, दुग्ध शीतलीकरण व्यय, अनुत्पादक व्ययों में कमी आदि परिलक्षित होंगे । भारत सरकार द्वारा योजना की राशि अभी विमुक्त नहीं की गई है।

(ix) पशु चिकित्सालयों का सुदृढीकरण

इस योजना के तहत प्रदेश के 350 पशु चिकित्सालयों के सुदृढीकरण हेतु कुल राशि ` 1053.55 लाख की योजना स्वीकृत की गई है। योजना के तहत प्रत्येक पशु चिकित्सालय के लिए राशि ` 1.50 लाख के मान से आवश्यक उपकरण, राशि ` 0.75 लाख के मान से आवश्यक चिकित्सालयीन फर्नीचर एवं प्रत्येक विकासखण्ड स्तर पर पोर्टेबल सोनोग्राफी मशीन के प्रावधान हेतु प्रति चिकित्सालय राशि ` 0.85 लाख का प्रावधान रखा गया है। योजना के क्रियान्वयन के लिए कृषि विभाग द्वारा संपूर्ण राशि विमुक्त की जा चुकी है एवं कार्य प्रगति पर है।

(x) नये पशु औषधालयों का निर्माण कार्य

योजना के तहत 206 पशु औषधालयों के लिए भारत सरकार द्वारा औषधालयो के लिए निर्धारित मापदण्ड अनुसार प्रति इकाई राशि ` 10.60 लाख भवन निर्माण हेतु एवं राशि ` 45.58 लाख आवश्यक फर्नीचर हेतु प्रस्तावित किया गया था।

राज्य स्तरीय प्रोजेक्ट परीक्षण समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार वर्ष 2017-18 में 18 जिलों के लिए 106 पशु औषधालयों के लिए भवन निर्माण एवं आवश्यक फर्नीचर का प्रावधान राशि ` 1169.18 लाख का प्रस्तावित किया गया है। भारत सरकार द्वारा अभी राशि विमुक्त नहीं की गई है।

(xi) कडकनाथ कुक्कुट प्रक्षेत्र का विस्तार एवं सुदृढीकरण

प्रदेश के झाबुआ जिले में पूर्व से स्थापित कडकनाथ कुक्कुट प्रक्षेत्र के विस्तार एवं सुदृढीकरण हेतु कुल राशि ` 359.00 लाख की योजना स्वीकृत की गई है। योजना के तहत नवीन ब्रूडर हाउस, ग्रोवर हाउस, लेयर हाउस, कोल्ड रूम तथा पानी की व्यवस्था हेतु निर्माण कार्य किए जाना है। योजना के तहत स्वीकृत राशि आहरित की जाकर मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल को उपलब्ध कराई जा चुकी है। कार्य प्रगति पर है।

(xii) बकरीपालन प्रक्षेत्र का विस्तार एवं सुदृढीकरणः-

प्रदेश के टीकमगढ जिले में (मिनोरा) पूर्व से स्थापित बकरीपालन प्रक्षेत्र के विस्तार एवं सुदृढीकरण हेतु कुल राशि ` 526.00 लाख की योजना स्वीकृत की गई है। योजना के तहत नवीन बकरी शेडों का निर्माण, पानी की व्यवस्था, प्रक्षेत्र उपकरण आदि क्रय किए जाना है। भारत सरकार द्वारा योजना की राशि अभी विमुक्त नहीं की गई है।

(xiii) एफएमडी कन्ट्रोल प्रोग्रामः-

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की सब-स्कीम के तहत प्रदेश में गाय एवं भैंस की लगभग 277.90 लाख जनसंख्या को मुखपका एवं खुरपका रोग से पूर्णतः मुक्त करने हेतु टीकाकरण कार्यक्रम स्वीकृत किया गया है। योजना के तहत तृतीय चरण हेतु कुल राशि ` 4376.10 लाख की योजना स्वीकृत है। भारत सरकार द्वारा योजना की राशि अभी विमुक्त नहीं की गई है।

भाग – चार

शासकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र/भेड़ प्रक्षेत्र/बकरी प्रक्षेत्र एवं कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र

4.1 शासकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र का उददेश्य

पशुओं के नस्ल का संरक्षण एवं संवर्धन कर विभिन्न विभागीय योजनाओं के अन्तर्गत हितग्राहियों को उन्नत नस्ल के साण्ड/ पाड़े उपलब्ध करना।

तालिका 4.1

शासकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्रों की जानकारी

क्र	शासकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र का नाम	प्रक्षेत्रों की संक्षिप्त जानकारी			
		स्थापना वर्ष	उपलब्ध नस्ल	कुल पशुधन	कुल उपलब्ध भूमि (एकड़ में)
1	शास. जर्सी पशु प्रजनन प्रक्षेत्र भदभदा (भोपाल)	वर्ष 1976-77	जर्सी, साहीवाल	363	280
2	शास. पशु प्रजनन प्रक्षेत्र मिनोरा (टीकमगढ़)	वर्ष 1972	हरियाणा	274	350
3	शास. पशु प्रजनन प्रक्षेत्र आगर (शाजापुर)	वर्ष 1942	मालवी	391	1150
4	शास. पशु प्रजनन प्रक्षेत्र रोड़िया (खरगोन)	वर्ष 1979	निमाड़ी	162	103
5	शास. पशु प्रजनन प्रक्षेत्र रतौना (सागर)	वर्ष 1946-47	थारी एवं मुर्रा	543	696
6	शास. पशु प्रजनन प्रक्षेत्र इमलीखेड़ा (छिन्दवाड़ा)	वर्ष 1954-55	साहीवाल	356	112
7	शास. पशु प्रजनन प्रक्षेत्र गढ़ी (बालाघाट)	वर्ष 1917	साहीवाल, संकर जर्सी	368	1080
8	शास. पशु प्रजनन प्रक्षेत्र पवई (पन्ना)	वर्ष 2010	केनकाठा	162	994
9	शासकीय भैंस प्रजनन प्रक्षेत्र शिवपुरी	शास0 भैंस प्रजनन प्रक्षेत्र शिवपुरी के भदावरी नस्ल के भैंस प्रजनन प्रक्षेत्र को स्थापित करने की कार्यवाही प्रचलन में है।			
10	शासकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र बांसाखेड़ी जिला	शास0 भेंड़ प्रजनन प्रक्षेत्र बांसाखेड़ी मंदसौर की भूमि पर गिर			

	मंदसौर	नस्ल के गौवंश के पशु प्रजनन प्रक्षेत्र को स्थापित करने की कार्यवाही प्रचलन में है।

4.2 शासकीय भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र का उददेश्य

उन्नत नस्ल के मेढे तैयार कर भेड़ विस्तार केन्द्रों के माध्यम से पशुपालकों को प्रदाय कर स्थानीय भेड़ की नस्ल में सुधार लाना।

तालिका 4.2

शासकीय भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्रों की जानकारी

क्र	शासकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र का नाम	प्रक्षेत्रों की संक्षिप्त जानकारी			
		स्थापना वर्ष	उपलब्ध नस्ल	कुल पशुधन	कुल उपलब्ध भूमि (एकड़ में)
1	शास. भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र बांसाखेड़ी (मंदसौर)	वर्ष 1954	मेरीनों कॉरीडेल संकर	37	141
2	शास. भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र पड़ोरा (शिवपुरी)	वर्ष 1975	रेम्बूलेट	128	3500
3	शास. भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र मिनौरा (टीकमगढ़)	वर्ष 1958	रेम्बूलेट एवं कॉरीडेल	320	355

4.3 शासकीय बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र का उद्‍देश्य

जमनापारी नस्ल की बकरियों का संरक्षण एवं संवर्धन कर विभिन्न विभागीय योजनाओं के अन्तर्गत हितग्राहियों/ पशुपालकों को उपलब्ध कराना।

तालिका 4.3

शासकीय बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र की जानकारी

क्र	शासकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र का नाम	प्रक्षेत्रों की संक्षिप्त जानकारी			
		स्थापना वर्ष	उपलब्ध नस्ल	कुल पशुधन	कुल उपलब्ध भूमि (एकड़ में)
1	शास. बकरी़ प्रजनन प्रक्षेत्र आरोन (ग्वालियऱ)	वर्ष 1980	जमुनापारी	476	312
2	शास. बकरी़ प्रजनन	वर्ष 2013	जमुनापारी	956	पशु प्रजनन

	प्रक्षेत्र मिनौरा (टीकमगढ़)				प्रक्षेत्र मिनौरा की भूमि पर स्थापित
3	शास. बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र ठीकरी (बड़वानी)	शास0 बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र ठीकरी में जमुनापारी नस्ल के बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र को स्थापित करने की कार्यवाही प्रचलन में है।			

च4.4 शासकीय कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र का उद्देश्य

कुक्कुट पालन प्रक्षेत्रों पर लो इनपुट टेक्नोलॉजी वाले पक्षियों का संवर्धन कर विभिन्न विभागीय योजनाओं में प्रदाय करने हेतु एक दिवसीय चूजों का उत्पादन करना प्रक्षेत्र का उद्देश्य है साथ ही कड़कनाथ कुक्कुट प्रक्षेत्र झाबुआ में मध्य प्रदेश का गौरव कहलाने वाले कड़कनाथ नस्ल के पक्षियों का संरक्षण एवं संवर्धन करने के साथ-साथ विभागीय कड़कनाथ प्रदाय योजना अन्तर्गत चूजा प्रदाय करने हेतु एक दिवसीय चूजों का उत्पादन करना मुख्य उद्देश्य है।

तालिका 4.4

शासकीय कुक्कट पालन प्रक्षेत्र की जानकारी

क्र	शासकीय कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र का नाम	प्रक्षेत्रों की संक्षिप्त जानकारी वर्ष 2017-18			
		स्थापना वर्ष	उपलब्ध नस्ल	कुल उपलब्ध मादा पेरेन्ट पक्षी (दिसम्बर तक)	कुल उपलब्ध भूमि (एकड़ में)
1	शास. कुक्कुट प्रक्षेत्र अनुसंधान हताईखेड़ा, भोपाल	वर्ष 1968-69	चाब्रो कड़कनाथ कलिंगा ब्राउन आर.आई.आर. रंगीन ब्रायलर	335 2677 1272 1954 218	11
2	शास. कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र इन्दौर	वर्ष 1963-64	आर0आई0आर0 कड़कनाथ	1430 250	13
3	शास. कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र ग्वालियर	वर्ष 1986-87	चाब्रो कड़कनाथ	2850 500	3
4	शास. कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र गुना	वर्ष 1988-89	आर0आई0आर0 चाब्रो	1258 558	7
5	शास. कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र सागर	वर्ष 1986-87	कलिंगा ब्राउन	1837	10
6	शास. कुक्कुट पालन	वर्ष 1964-65	कलिंगा ब्राउन	1350	5

	प्रक्षेत्र रीवा				
7	शास. कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र छिन्दवाड़ा	वर्ष 1965-66	रेन्बो रुस्टर कड़कनाथ	1487 500	12
8	शास. कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र शहडोल	वर्ष 1960-61	कलिंगा ब्राउन	2807	6
9	शास. कड़कनाथ कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र झाबुआ	वर्ष 1978-79	कड़कनाथ	2959	6
कुल				**24232**	**74**

भाग–5
सामान्य प्रशासनिक जानकारी
तालिका 5.1
विभाग में स्वीकृत एवं कार्यरत पदों की संख्या
(माह दिसम्बर 2017 की स्थिति में)

क्रमांक	श्रेणी/पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत
1	संचालक	1	1
2	अपर संचालक	2	–
3	संयुक्त संचालक	21	8
4	उप संचालक/सिविल सर्जन पशु चिकित्सा/पशु प्रजनन कार्यक्रम अधिकारी	203	98
5	उप संचाालक(रिसर्च)	1	–
6	सहायक संचालक /पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ/ पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी	1671	904
7	सहायक संचालक साँख्यिकीय/सांख्यिकीय अधिकारी	17	6
8	क्षेत्रीय अधिकारी (साँख्यिकीय)	1	–
9	सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं	4	0
10	प्रशासनिक अधिकारी/लेखा परीक्षा अधिकारी/ लेखा अधिकारी	3	1
11	जन संचार दृश्य श्रव्य अधि0	1	–
12	खाद्य विश्लेषक	1	–
13	उप यंत्री	3	3
14	मुख्य मानचित्रकार	1	1
15	सहायक साँख्यिकीय अधिकारी	48	26
16	विपणन निरीक्षक	5	1
17	सहा0पशु चिकि0 क्षेत्र अधि0, प0चि0क्षेत्र अधि0, वरिष्ठ प0चि0क्षेत्र अधि0, पशुधन क्षेत्र अधि0	5795	3588
18	प्रगति सहायक/संगणक	110	85
19	प्रगणक	72	52
20	प्रयोगशाला सहायक/तकनीशियन	132	82
21	क्षेत्र सहायक	40	22
22	सीनियर प्लांट आपरेटर	3	0
23	प्लांट आपरेटर	11	9
24	दुग्ध अभिलेखक	17	7
25	प्रोजेक्ट आपरेटर	18	18
26	प्रोजेक्ट आपरेटर कनिष्ठ	5	5
27	विद्युतकार मैकेनिक	7	5
28	पट्टी बंधक वर्ग–1	15	8
29	लिपिक वर्गीय	849	582
30	वाहन चालक	167	109
31	चतुर्थ श्रेणी	2919	2712

तालिका 5.2

विभागीय नियुक्तियां एवं पदोन्नतियां (माह दिसम्बर 2017 की स्थिति में)

कमांक	पद श्रेणी	नियुक्तियाँ	पदोन्नतियाँ
1	प्रथम श्रेणी	–	–
2	द्वितीय श्रेणी	–	–
3	तृतीय श्रेणी	33	–

तालिका 5.3

विभागीय जाँच सम्बन्धी जानकारी (माह दिसम्बर 2017 की स्थिति में)

कं0	श्रेणी	जाँच प्रकरणों की संख्या	निराकृत जाँच प्रकरण	लंबित जाँच प्रकरण
1	प्रथम श्रेणी	10	2	8
2	द्वितीय श्रेणी	34	2	32
3	तृतीय श्रेणी	17	–	17
4	चतुर्थ श्रेणी	–	–	–

तालिका 5.4

विभाग के विरुद्ध दायर न्यायालयीन प्रकरणों की स्थिति (माह दिसम्बर 2017 की स्थिति में)

क0	पद श्रेणी	माननीय न्यायालय द्वारा निर्णित/खारिज	निराकृत	पालन हेतु शेष	माननीय न्यायालय में कुल विचाराधीन प्रकरण
1	प्रथम श्रेणी	–	02	–	–
2	द्वितीयश्रेणी	–	08	02	04
3	तृतीय श्रेणी	15	12	09	08
4	चतुर्थ श्रेणी	–	06	03	09
	योग	**15**	**28**	**14**	**21**

तालिका 5.5

स्थानान्तरण
विभाग द्वारा किये गये स्थानांतरणों की जानकारी
(माह दिसम्बर 2017 की स्थिति में)

क्रमांक	श्रेणी/ पदनाम	स्थानांतरण की संख्या	संशोधन संख्या	निरस्त की संख्या
	(प्रथम श्रेणी)			
1	संयुक्त संचालक	1	–	–
2	उप संचालक/सिविल सर्जन/पशु प्रजनन कार्यक्रम अधिकारी	45	–	–
	(द्वितीय श्रेणी)			
1	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ	134	–	–
2	सहायक संचालक सांख्यकीय	–	–	–
	(तृतीय श्रेणी)			
1	सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी	190	–	4
2	लिपिक वर्गीय	23	–	–

भाग–छः

विभागीय उपलब्धियां

6.1 महत्वपूर्ण विभागीय उपलब्धियाँ

- वर्ष 2016–17 में प्रदेश की दुग्ध उत्पादन की वृद्धि दर 10.69 प्रतिशत् रही जबकि राष्ट्र की दुग्ध उत्पादन की वृद्धि दर 5.28 प्रतिशत् थी।
- वर्ष 2016–17 में प्रदेश, दुग्धोत्पादन में राष्ट्र में तृतीय स्थान पर है।
- वर्ष 2016–17 में दुग्ध उत्पादन 12148 हजार मेट्रिक टन से बढ़कर 13445 हजार मेट्रिक टन हुआ है। वर्ष 2016–17 में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दुग्ध उपलब्धता 428 ग्राम से बढ़कर 468 ग्राम हो गई है जो कि राष्ट्रीय औसत 352ग्राम से अधिक है।
- वर्ष 2016–17 में अण्डा उत्पादन 14414 लाख से बढ़कर 16940 लाख हुआ है। वर्ष 2016–17 में प्रति व्यक्ति वार्षिक अण्डा उपलब्धता 19 अण्डा से बढ़कर 22 अण्डा वार्षिक हो गया है।
- वर्ष 2016–17 में प्रदेश में पहली बार एफ.एम.डी.कन्ट्रोल प्रोग्राम क्रियान्वित किया गया जिसके अन्तर्गत प्रदेश के समस्त गौवंशीय एवं भैंसवंशीय पशुओं के एफ.एम.डी रोग नियंत्रण हेतु 206.96 लाख पशुओं का टीकाकरण किया गया।
- वर्ष 2016–17 में प्रदेश में पहली बार भेंड़ एवं बकरियों को पी.पी.आर रोग से बचाने हेतु पी.पी.आर रोग नियंत्रण कार्यक्रम संचालित किया गया जिसके अन्तर्गत उक्त प्रजाति के 65.78 लाख पशुओं का पी.पी.आर टीकाकरण किया गया।
- वर्ष 2016–17 में प्रदेश में पहली बार ब्रुसेला रोग नियंत्रण हेतु ब्रुसेला रोग नियंत्रण कार्यक्रम संचालित करते हुए प्रारम्भिक तौर पर रींवा संभाग के चार जिला में लगभग 2.50लाख पशुओं का ब्रुसेला टीकाकरण किया गया।
- वर्ष 2017–18 में प्रारम्भिक तौर पर प्रदेश के चार विकासखण्डों में ‘‘पशुधन संजीवनी 1962’’ परियोजना प्रारम्भ की गई है। इसके अन्तर्गत पशुपालकों को घर पहुॅच पशु चिकित्सा,पशु उपचार, विभागीय योजनाओं की जानकारी तथा पशुपालकों को तकनीकि मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।
- ‘‘पशुधन संजीवनी 1962’’ के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तरीय कॉल सेन्टर की स्थापना की गई है जिसका फोन नम्बर 1962 रखा गया है।

- वर्ष 2017–18 में माह दिसम्बर तक 10.10 लाख किलोग्राम प्रतिदिन औसत दुग्ध संकलित किया गया जो कि गत वर्ष इसी अवधि की तुलना में 17 प्रतिशत् अधिक है।
- वर्ष 2017–18 में माह दिसम्बर तक 7.73 लाख लीटर प्रतिदिन औसत पैकेट दुग्ध विक्रय किया गया जो कि गत वर्ष इसी अवधि की तुलना में 6 प्रतिशत् अधिक है।
- वर्ष 2017–18 में माह दिसम्बर तक दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध क्रय मूल्य के रुप में `1055 करोड़ क भुगतान किया गया जो गत वर्ष की तुलना मे लगभग 45 प्रतिशत अधिक है।

- 15 जुलाई 2015 से प्रदेश के 85,933 प्राथमिक विद्यालयों के 45.85 लाख विद्यार्थियों तथा 92,230 आंगनवाड़ियों के 47.88 लाख बच्चों को मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत सप्ताह में 3 दिन सुगंधित मीठा दूध प्रदाय हेतु दुग्ध संघों द्वारा सुगंधित मीठा दूध चूर्ण प्रदाय किया जा रहा है।
- दुग्ध संघों की दुग्ध चूर्ण एवं श्वेत मक्खन की आवश्यकता पर विभिन्न स्टेट डेयरी फेडरेशनों से लगभग 3200 मेट्रिक टन दुग्ध चूर्ण एवं 2160 मेट्रिक टन श्वेत मक्खन क्रय कर उपलब्ध कराया गया।
- दुग्ध संघो द्वारा निर्मित पशु आहार सुदाना की विक्रय दरों में भी दिनांक 21जून 2017 से 50पैसे प्रति किलों की कमी की गई है। वर्तमान विक्रय दर `14.50 प्रति किलोग्राम है। इससे लगभग 177000 दुग्ध उत्पादकों के दूध की उत्पादन लागत में कमी आई है।
- प्रदेश में सहकारी क्षेत्र में स्थित दुग्ध सहकारी समितियो, शीत केन्द्र, डेयरी संयंत्र तथा दुग्ध संकलन मार्गो का डिजिटाइजेशन कर जी,आई.एस मैपिंग की गई है।

6.2 गोकुल महोत्सव

6.2.1 वर्ष 2016-17 में प्रदेश में गोकुल महोत्सव का आयोजन दिनांक 31अक्टूबर 2016 से 30नवम्बर 2016 तथा 14मार्च 2017 से 25मई 2017 तक किया गया। गोकुल महोत्सव अन्तर्गत वर्ष में दो बार प्रदेश के समस्त पशुपालकों के घर पहुँच कर समस्त पशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण,उपचार,टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, बांझपन उपचार तथा शल्य चिकित्सा कार्य किया गया।

6.2.2 गोकुल महोत्सव के उद्‌देश्य

(i) पशुपालकों के पशुओं को उनके क्षेत्र में पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना।

(ii) पशुओं की विभिन्न बीमारियों के बचाव हेतु पशुओं में प्रतिबंधात्मक टीकाकरण करना

(iii) नस्ल सुधार के उद्‌देश्य से ग्राम के निकृष्ट सांडो का बधियाकरण करना।

(iv) गाय भैंसों में बांझपन के निवारण हेतु उपचार करना ।

(v) ग्राम के पशुओं को कृमिनाशक औषधियां देकर कृमि से होने वाले नुकसान से बचाव करना।

(vi) पशुपालकों को विभागीय गतिविधियों /हितग्राहीमूलक योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराना

(vii) कृत्रिम गर्भाधान कार्य, पशु बीमा कार्य ।

(viii) पशुपालकों का उन्नत पशुपालन /पशु प्रबंधन की जानकारी देना।

(ix) स्टाल फीडिंग का महत्व समझाना। पशुपालकों को उन्नत चारा, उसका प्रबंधन एवं उत्पादन के संबंध में जानकारी प्रदान करना।

(x) गोबर खाद, नाडेप की उपयोगिता के संबंध में जानकारी देना।

(xi) ग्रीष्म ऋतु में चारे की अल्पता से निपटने के लिए चारा संरक्षण हेतु हे एवं साईलेज बनाने की विधियों पर जानकारी प्रदान करना।

(xii) पशु को पोष्टिक आहार देने हेतु चारे /भूसा के यूरिया उपचार की जानकारी प्रदान करना।

(xiii) अधिकतम उत्पादन एवं पशु के स्वास्थ्य के लिए संतुलित पशु आहार की जानकारी उपलब्ध कराना।

6.2.3 वर्ष 2016–17 में गोकुल महोत्सव अन्तर्गत 97342पशु चिकित्सा शिविरों का आयोजन, 32.89लाख पशुपालकों का पंजीकरण, 192.93 लाख पशुओं का पंजीकरण, 32.91लाख पशुओं का उपचार,114.11लाख पशुओं का टीकाकरण, तथा 4.97लाख पशुओं का बांझपन उपचार किया गया।

6.2.4 वर्ष 2017–18 में प्रदेश में गोकुल महोत्सव का आयोजन दिनांक 28अक्टूबर 2017 से 30नवम्बर 2017 तक किया गया।

6.2.5 वर्ष 2017–18 में गोकुल महोत्सव अन्तर्गत 50700 पशु चिकित्सा शिविरों का आयोजन, 24.43 लाख पशुपालकों का पंजीकरण, 162.26 लाख पशुओं का पंजीकरण, 20.03लाख पशुओं का उपचार, 142.19लाख पशुओं का टीकाकरण, तथा 2.50लाख पशुओं का बांझपन उपचार कार्य किया गया।

भाग–सात

विभाग के अंतर्गत आने वाले निगम, बोर्ड एवं समितियाँ

7.1 म. प्र. राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम

म. प्र. राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम की स्थापना अधिनियम 37 (1982) के अन्तर्गत 19 नवम्बर 1982 को निगम के कामकाज, पशु उत्पादन(दूध तथा दुग्ध उत्पादों को छोड़कर) तथा कुक्कुट उत्पादों के संग्रहण, पालन पोषण और विपणनकरने एवं पशु तथा कुक्कुट का संरक्षण, प्रबंध और विकास करने के उद्देश्य से हुई जिससे कि राज्य के पशुधन का विकास हो सके और उसमें वृद्धि हो सके।

तालिका 7.1

मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम द्वारा क्रियान्वित प्रमुख योजनाओं की उपलब्धि

क्र.	विवरण	भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि					
		2015–2016		2016–2017		2017–2018 (दिसतक)	
		भौतिक	वित्तीय (लाख ` में)	भौतिक	वित्तीय (लाख ` में)	भौतिक	वित्तीय (लाख ` में)
1.	उच्चवंशीय पशुधन का प्रदाय(बैल जोड़ी भी सम्मिलित)	1448	532.40	467	162.84	193	87.4
2.	नस्लसुधार (गौवंश/ भैंसवंश/ बकरा/सूकर)	15095	1194.74	12372	1502.65	5702	1212.86
3.	पशु आहार का उत्पादन(में.टन में) (गौ–भैंसवंश/बकरा एवं पक्षी	359.80	73.98	353.6	80.60	142.60	35.69
4.	तरल नत्रजन का विक्रय(लाख लीटर में)	9.02	332.33	11.68	306.83	7.07	274.49
5.	फ्रोजन सीमन का उत्पादन (लाख स्ट्रा)	18.62	297.92	27.85	320.96	20.58	337.51
6.	राष्ट्रीय गौ भैंसवंशीय परियोजना, पशु प्रजनन कार्यक्रम (NPBB-2014-15) पशु प्रजनन प्रक्षेत्र रतौना,मिनौरा, कीरतपुर एवं बुलमदर फार्म भदभदा भोपाल	मैत्री 500 प्रशिक्षण एवं उपकरण आदि का प्रदाय,कृ.ग. सांड कय60,रिप्लेश मेंट कृग उपकरण अन्तर्गत,500नग कृ.ग.किट का प्रदाय, 15ली. तरल नत्रजन क्षमता के 400नग पात्र। 3ली.	2052.70	मैत्री 128 प्रशिक्षण एवं उपकरण एवं उपकरण्र आदि का प्रदाय, कृ. ग.सांड कय60,रिप्लेश मेंट कृग उपकरण अन्तर्गत BA-2-1000,AIkit-500,Thawing Unit-716,Goblets - 11,170Stren	860.40	कृ.ग.सांड क्रय 27, रिपलेसमेंट कृ.ग. उपकरण अन्तर्गत LN Cont.1-5ltr.574 AI kit-197stregthening Bulk LN Transport &distribution	213.67

		क्षमता के700नग पात्र ।तथा 35ली. क्षमता के 175नग पात्रों का प्रदाय।		gtheningof AISeath66,500)Gloves66000strenghening Bulk LN Transport & distribution अन्तर्गत BA-11-400 J-12-101 TA-55-201 ,		अन्तर्गत , OMR320ltr-3 trasport Tankar-1 BA-55-200TA-55-200 J12-100	
7.	बुन्देलखण्ड पैकेज	–	–	268	107.20	–	–
8.	रिस्क मैनेजमेंट एन्ड इंश्योरेन्श (पशुधन बीमायोजना)	37486	259.51	59113	388.01	23159	185.20
9.	कीरतपुर में मुर्रा भैंस प्रजनन केन्द्र की स्थापना	–	–	114 वत्स उत्पादित	–	-	–
10	मुर्रा नर संगोपन (रतौना, कीरतपुर, मिनौरा, बुल मदर फार्म भदभदा भोपाल)	–	–	–	–	–	–
11	भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला	134 भ्रूण संकलित एव 90 का प्रत्यारोपण54 हिमकृत किए तकनीकि से 11 वत्सों का उत्पादन	235.00	251 भ्रूण संकलित किए एवं 204 प्रत्यारोपड़, 34 हिमकृत किए 24 वत्सों का उत्पादन	–	–	–
12	राज्य पशु प्रजनन केंद्र	–	150.00	बायो सिक्युरिटी बाऊड्रीवाल, रोड वर्षा जल संरक्षण हेतु तालाब, भूमि का समतलीकरण, सिंचाई व्यवस्थापास्चर डेवलपमेंट एवं बुल सेट सीमेन आयात	135.00	–	––
13	नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग सेन्टर की स्थापना	–	–	–	–	-	–
14	दतिया में सीमन स्टेशन की स्थापना	–	–	1सीमेन स्टेशन का निर्माण	737.17	-	–
15	कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान रतौना (सागर)	–	–	–	332.32	-	–
16	टर्न ओवर	–	5128.58	–	4933.98		2346.82

7.2 एम. पी. स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड

मध्यप्रदेश में सहकारिता क्षेत्र अन्तर्गत समन्वित डेयरी विकास की गतिविधियां सर्वप्रथम प्रदेश के पश्चिमी एवं मध्य क्षेत्र के 9 जिलों में वर्ष 1975 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के माध्यम से इन्टरनेशनल डेवलपमेंट एजेन्सी (IDA) से प्राप्त वित्त पोषण से प्रारम्भ की गई तथा मध्यप्रदेश स्टेट डेयरी डेवलपमेंट कार्पोरेशन का गठन किया गया।

वर्ष 1980–81 में प्रदेश में आपरेशन फ्लड–11 कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया जिसके तहत् चार दुग्ध संघों ग्वालियर, जबलपुर, रायपुर एवं सागर के दुग्धांचलों के अन्तर्गत 29 और जिलों में डेयरी विकास की गतिविधियां प्रारम्भ की गई।

वर्ष 1980 में ही आपरेशन फ्लड कार्यक्रम का राज्य स्तर पर संचालन करने के लिए मध्यप्रदेश दुग्ध महासंघ सहकारी मर्यादित (वर्तमान में एम.पी.स्टेट कोआपरेटिव डेयरी फेडरेशन लि.) की स्थापना की गई।

7.2.1 त्रिस्तरीय संरचना

- एमपीसीडीएफ एवं दुग्ध संघों के अंतर्गत कार्यरत त्रिस्तरीय संरचना का संचालन प्रदेश के 51 जिलों में किया जा रहा है ।

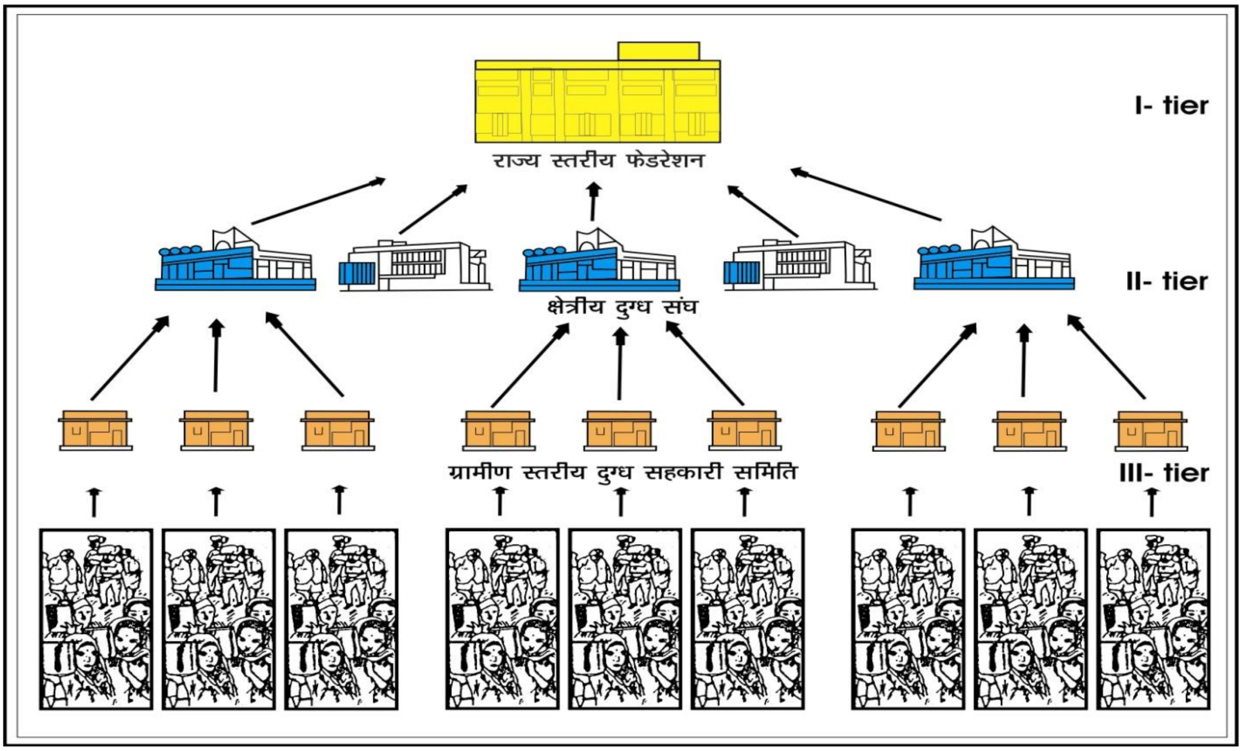

तालिका 7.2

सहकारी डेयरी विकास कार्यक्रम की भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि

क.	विवरण	2015-16	2016-17	2017-18 (दिस0तक)
1	कार्यशील दुग्ध सहकारी समितियों की संख्या	6315	6612	6909
2	कार्यशील दुग्ध सहकारी समितियों की सदस्य संख्या	248717	256150	251076
3	दुग्ध संकलन किलोग्राम/प्रतिदिन	1029138	889611	1010498
4	स्थानीय दुग्ध विक्रय (लीटर प्रतिदिन)	703452	741032	772567
5	पशु आहार विक्रय (मेट्रिक टन)	116714	110541	69167
6	कृत्रिम गर्भाधान (संख्या)	508362	556633	453292
7	दुग्ध उत्पादकों को भुगतान (` करोड़ में)	1057.16	954.94	1055.00
8	विक्रय प्राप्तियां (` करोड़ में)	1739.51	1718.64	1274.37

दुग्ध संघों का कार्यक्षेत्र

दुग्ध संघवार जिलों का वर्गीकरण निम्नानुसार है :

क्र.	दुग्ध संघ का नाम	कुल जिले	सम्मिलित जिले का नाम
1	भोपाल	12	भोपाल, सीहोर, विदिशा, राजगढ, रायसेन, गुना, होशंगाबाद, बैतूल, हरदा, अशोकनगर, सागर, छतरपुर, देवास, (कन्नौद, खातेगांव) एवं जिला शाजापुर (शुजालपुर, कालापीपल) का कुछ क्षेत्र
2	इन्दौर	09	इन्दौर, देवास, खरगौन, धार, बडवानी, झाबुआ, अलीराजपुर, खण्डवा एवं बुरहानपुर
3	उज्जैन	06	उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, शाजापुर, आगर एवं जिला धार (बदनावर) व देवास का कुछ क्षेत्र
4	जबलपुर	17	जबलपुर, सिवनी, नरसिंहपुर, रींवा, सतना, मण्डला, डिंडोरी, कटनी, छिंदवाडा, शहडोल, उमरिया, अनुपपुर, सीधी, पन्ना, दमोह, सिंगरौली, बालाघाट
5	ग्वालियर	07	ग्वालियर, भिण्ड, मुरैना, शिवपुरी, श्योपुर, दतिया एवं टीकमगढ़
कुल जिले		**51**	

7.2.2 राष्ट्रीय डेयरी विकास परियोजना

इस योजना का उद्देश्य दुग्ध उत्पादन में वृद्धि,पोषक आहार की गुणवत्ता में सुधार, रोजगाार निर्मित करना व ग्रामीण क्षेत्रों में आय बढ़ाने के अवसर प्रदान करना है। भारत शासन द्वारा सघन डेयरी विकास कार्यक्रम के स्थान पर यह योजना प्रारम्भ की गई है। वर्तमान में यह योजना खरगौन जिले में चलाई जा रही है। भारत शासन द्वारा योजना अन्तर्गत खरगौन जिले हेतु वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के लिए राशि ` 758.86लाख की लागत की द्विवर्षीय योजना स्वीकृत की गई थी। इसमें से राशि ` 583.13 लाख केन्द्र शासन तथा राशि `175.73 लाख क्रियान्वयन एजेन्सी का हिस्सा है। परियोजनान्तर्गत प्रथम वर्ष हेतु स्वीकृत राशि में से राशि ` 459.95 लाख केन्द्र सरकार से प्राप्त हुई है। राष्ट्रीय डेयरी विकास परियोजना खरगौन जिले की भौतिक उपलब्धियां निम्नानुसार हैः

विवरण	2015-16	2016-17	2017-18 (दिस0तक)
कार्यरत दुग्ध सहकारी समितियों की संख्या	177	195	253
दुग्ध उत्पादकों की संख्या	6465	7241	7384
औसत दुग्ध संकलन (कि.ग्रा. प्रतिदिन)	24054	20495	28515
औसत स्थानीय दुग्ध विक्रय (लीटर/दिन)	19655	18720	21576

7.3 मध्यप्रदेश गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड

7.3.1 बोर्ड की संरचना

मध्यप्रदेश शासन पशुपालन विभाग द्वारा मध्यप्रदेश गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड को दिंनाक 08-10-2004 से राज्य में प्रभावशील घोषित किया गया है। बोर्ड के कृत्यो के संचालन हेतु राज्य स्तर पर एक कार्यपरिषद तथा जिला स्तर पर जिला गौपालन एवं पशुधन संवर्धन समितियों का गठन किया गया है। राज्य गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, उपाध्यक्ष माननीय मंत्री पशुपालन, सदस्य कृषि उत्पादन आयुक्त, प्रमुख सचिव गृह, प्रमुख सचिव वन, प्रमुख सचिव ग्रामीण विकास, प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन विकास, प्रमुख सचिव पशुपालन, संचालक पशुपालन, प्रबन्ध संचालक ऊर्जा विकास निगम, संचालक कृषि, प्रबन्ध संचालक मध्यप्रदेश गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड, प्रबन्ध संचालक राज्य कृषि कल्याण विपणन बोर्ड हैं।राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य निम्नानुसार होते हैंः

(अ) राज्य शासन द्वारा नामांकित एक अशासकीय व्यक्ति जो बोर्ड का ''दूसरा'' उपाध्यक्ष होगा.

(ब) गौपालन एवं पशुधन संवर्धन में रूचि रखने वाले 7 अशासकीय सदस्य जिसमें कम से कम दो पंजीकृत गौशाला के संचालक होना अनिवार्य है।

7.3.2 जिला गौपालन एवं पशुधन संवर्धन समिति

जिला गौपालन एवं पशुधन संवर्धन समिति, अध्यक्ष और निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात्- कलेक्टर अध्यक्ष, पुलिस अधीक्षक सदस्य, उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाएं पदेन सचिव, उप संचालक कृषि कल्याण सदस्य, प्रबंधक, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम सदस्य, आयुक्त, नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी सदस्य, जिला पंचायत के कृषि समिति का अध्यक्ष सदस्य, सचिव, कृषि उपज मंडी (जिला मुख्यालय का) सदस्य, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सदस्य है। अशासकीय सदस्य निम्नानुसार होते हैंः

(अ) चार अशासकीय सदस्य, जिसमें से दो का नामांकन राज्य गौपालन एवम् पशुधन संवर्धन बोर्ड द्वारा एवम् दो का नामांकन जिले के प्रभारी मंत्री द्वारा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जिले के विधायकों में से एक विधायक प्रभारी मंत्री द्वारा मनोनीत किया जाएगा। जिले के विधायकों का कार्यकाल बारी-बारी से एक वर्ष का होगा।

(ब) अशासकीय सदस्यों में से एक सदस्य उपाध्यक्ष होगा, जिसका मनोनयन राज्य बोर्ड द्वारा किया जाएगा ।

(स) संयुक्त/उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं, जिला गौपालन एवं पशुधन संवर्धन समिति का पदेन सचिव होगा।

7.3.3 नवीन गौशालाओं का पंजीयन एवं निरस्तीकरण

गौशालाओं के नवीन पंजीयन हेतु आवेदन जिला गौपालन एवं पशुधन संवर्धन समिति के माध्यम से प्राप्त होने पर बोर्ड के सदस्यों तथा पशुपालन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के भौतिक सत्यापन पश्चात् मापदंड अनुरुप पाए जाने पर पंजीयन की कार्यवाही की जाती है। बोर्ड द्वारा 18 गौशालाओ के नवीन पंजीयन किए गए।

7.3.4 गौ–अभयारण्य अनुसंधान एवं उत्पादन केन्द्र, सालरिया सुसनेर, जिला आगर

गौ–अभ्यारण्य अनुसंधान एवं उत्पादन केन्द्र गाम सालरिया, तहसील सुसनेर, जिला आगर में 472.63हैक्टेयर में स्थापित किया गया है। गौ–अभयारण्य अनुसंधान एवं उत्पादन केन्द्र का शुभारम्भ दिनांक 27.09.2017 को कर दिया गया है। वर्तमान में गौ–अभयारण्य में लगभग 4309 गौवंश का पालन किया जा रहा है।

गौ–अभयारण्य अनुसंधान एवं उत्पादन केन्द्र ग्राम सालरिया, तहसील सुसनेर में–

- निराश्रित,दान में पुलिस अभिरक्षा में प्राप्त गौवंश के आवास तथा भरपूर आहार की सुनिश्तिता, उनके निर्भय व स्वतन्त्र विचरण के लिए, प्राकृतिक और स्वाभाविक वातावरण का निर्माण किया गया है।
- गौवंश को कृषि, ग्रामोद्योग, पर्यावरण व अर्थ जो़ने हेतु पंचगव्य के एकत्रीकरण, प्रबन्धन व विपणन का कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है।
- भारतीय नस्लों के संरक्षण, चारागाह विकास, जैविक, बैल व नन्दी का वितरण इत्यादि कार्य किया जाएगा।

7.3.5 गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 में संशोधन

- गौवंश वध पर पूर्ण प्रतिबंध है।
- गौवंश वध अथवा गौवंश अवैध परिवहन के मामले में अपराध सिद्ध होने पर अधिकतम कारावास का सीमा बढ़ाकर 7वर्ष की गई है।
- अधिनियम के तहद् पकड़े जाने पर सबूत का भार अभियुक्त पर होगा।
- गौवंश अवैध परिवहन के मामले में उपयोग किए गए वाहन को जप्त किया जा सकता है।

तालिका 7.3

प्रदेश स्तर पर गौशालाओं की स्थिति

क्रंमाक	विवरण	संख्या
1	कुल पंजीकृत गौशालाएं	1296
2	कुल क्रियाशील गौशाला	604
3	कुल अक्रियाशील गौशालाएं	665
4	गौशालाओं में स्थापित बायोगैस संयंत्र	72
5	गौशालाओ की संख्या जहां गोमूत्र से औषधियां तैयार की जा रही है	26
6	गौशालाओ की संख्या जहां गोबर खाद, जैविक खेती हेतु तैयार की जा रही है	312
7	गौशालाओं में उपलब्ध गौवंश	150407

तालिका 7.4

गौशालाओं को वर्षवार दी गई आर्थिक सहायता का विवरण

सं.क्रं.	वर्ष	प्राप्त वंटन (` करोड़ में)	प्रदाय राशि (` करोड़ में)
1	2016-17	20.00	20.00
2	2017-18	25.00	18.00

7.4 पशु रोगी कल्याण समिति

राज्य के सभी जिलों में पशु कल्याण समितियों का गठन निम्नांकित उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया गया है:-

(i) क्षेत्र के पशुओं के उपचार की व्यवस्था करना।
(ii) पशुपालन की सुविधा उपलब्ध कराना।
(iii) अर्न्तवासी रोगी पशुपालकों को चिकित्सालय में ठहरने की व्यवस्था करना।
(iv) पशु चिकित्सा भवनों में सुधार करना।
(v) राज्य गौ संवर्धन बोर्ड की अनुमति से अनुदान प्राप्त गौशालाओं की देखभाल/पर्यवेक्षण करना।
(vi) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम का पालन करना।
(vii) पशु पक्षियों के कल्याण के कार्यक्रमों के प्रोत्साहन हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करना।
(viii) पालतू जानवरों का टीकाकरण तथा उपचार करना।
(ix) रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम का प्रचार एवं सहयोग करना।
(x) पशु चिकित्सा एवं उन्नत प्रजनन से संबंधित अन्य कार्य।

जिला पशु कल्याण समितियों में कलेक्टर कार्यकारी अध्यक्ष,उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवायें सदस्य व पदेन सचिव एवं जिला स्तर के पशु चिकित्सालय का प्रभारी पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ सदस्य उप सचिव सहित 11सदस्य होते हैं। इसके अतिरिक्त समिति में जिले के निर्वाचित दो विधायक भी सदस्य होते हैं।

7.5 पशु क्रूरता निवारण समितिः-

प्रदेश के 51 जिलों में पशु क्रूरता निवारण समिति का गठन किया गया है। जिले में पशु क्रूरता निवारण से संबंधित कार्य समिति के द्वारा किया जाता है।

7.6 मध्यप्रदेश पशु चिकित्सा परिषद्

प्रदेश में पशु चिकित्सा सेवाओं के नियमन हेतु भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम 1984 के प्रावधानों के तहद् कार्यवाही किए जाने के लिए वर्ष 2000 में मध्यप्रदेश पशु चिकित्सा परिषद् का गठन किया गया है।

7.6.1 मध्यप्रदेश राज्य पशु चिकित्सा परिषद् में निम्नानुसार सदस्य होते हैं–

(i) निर्वाचित सदस्य–4
(ii) राज्य शासन द्वारा नामांकित सदस्य–3
(iii) पशु चिकित्सा संस्थाओं के मुखिया–पदेन सदस्य–1
(iv) संचालक पशुपालन–पदेन सदस्य–1
(v) प्रदेश स्तर के पशु चिकित्सा संघ का प्रतिनिधि–1
(vi) रजिस्ट्रार मध्यप्रदेश पशु चिकित्सा परिषद्–पदेन सदस्य–1

7.6.2 मध्यप्रदेश राज्य पशु चिकित्सा परिषद् में वर्तमान में 3490 पशु चिकित्सक पंजीकृत हैं।

भाग–आठ

परिशिष्ट–एक

मध्यप्रदेश में 19वीं पंचवर्षीय पशु संगणना 2012 के जिलेवार पशुधन के आँकड़े :–

क्रं0	जिला	गौवंशीय पशु			भैंसवंशीय पशु	भेड़ा–भेंड़ी	बकरा–बकरी	सूकर	घोड़े–घोड़ी	खच्चर	गधे	ऊँट	कुल पशुधन	कुल कुक्कुट
		संकर नस्ल	देशी नस्ल	**योग**										
1	अलीराजपुर	431	440049	440480	57493	1940	310263	146	26	0	381	0	**810729**	**665104**
2	अनुपपुर	7572	339929	347501	62058	185	64172	3010	1098	0	35	12	**478071**	**98572**
3	अशोकनगर	11382	230187	241569	120889	2658	86420	965	114	0	63	0	**452678**	**22901**
4	बालाघाट	10871	565912	576783	141034	3	225972	5386	748	399	9	9	**950343**	**248804**
5	बड़वानी	599	399640	400239	110663	2661	306715	796	55	0	715	0	**821844**	**703619**
6	बैतूल	22908	503145	526053	120395	1703	145214	1052	405	182	229	1	**795234**	**183493**
7	भिण्ड	7530	102030	109560	219145	5808	95660	5146	264	49	332	5	**435969**	**9234**
8	भोपाल	20658	89434	110092	83655	65	39155	945	66	0	181	0	**234159**	**990653**
9	बुरहानपुर	2125	129372	131497	36211	49251	77342	531	1755	0	506	0	**297093**	**104865**
10	छतरपुर	3095	340818	343913	239206	4553	254774	6761	257	358	138	0	**849960**	**80794**
11	छिंदवाड़ा	23080	675987	699067	136696	56	273070	1799	1032	29	239	0	**1111988**	**361116**
12	दमोह	4868	553977	558845	106723	3627	121823	5418	246	0	50	0	**796732**	**45833**
13	दतिया	630	106555	107185	150324	3858	99841	2082	127	109	357	0	**363883**	**15046**
14	देवास	30259	314631	344890	236555	668	165742	740	84	25	177	1	**748882**	**147955**
15	धार	58107	565306	623413	200419	2165	435624	530	2040	2050	386	3	**1266630**	**643012**
16	डिंडोरी	506	375053	375559	43204	73	65329	5212	916	1	353	87	**490734**	**136170**
17	खण्डवा	1510	344854	346364	121184	169	130576	1137	672	837	83	0	**601022**	**76441**
18	गुना	14824	352976	367800	222426	706	129993	3415	94	18	615	52	**725119**	**46725**
19	ग्वालियर	5723	182221	187944	226089	15211	164062	2407	107	45	466	164	**596495**	**49930**
20	हरदा	2469	139240	141709	72850	1416	45989	208	45	2	8	0	**262227**	**27717**
21	होशंगाबाद	20369	319633	340002	112526	61	80059	2396	254	5	284	2	**535589**	**159154**
22	इन्दौर	81455	96129	177584	155290	629	96272	4	715	776	81	0	**431351**	**141223**
23	जबलपुर	27922	337423	365345	95324	1170	104280	4832	118	1	20	0	**571090**	**3401896**

24	झाबुआ	17409	391764	409173	102807	3024	266435	0	39	1	253	0	**781732**	**468308**
25	कटनी	3497	431864	435361	51866	1522	92760	3409	59	18	10	5	**585010**	**18252**
26	मंडला	7603	386045	393648	54641	132	77995	3842	274	447	39	0	**531018**	**122671**
27	मंदसौर	51231	245841	297072	224443	10181	182244	4267	927	13	584	1280	**721011**	**33308**
28	मुरैना	12715	129199	141914	623861	14758	164010	8618	461	232	2295	237	**956386**	**49539**
29	नरसिंहपुर	38080	283033	321113	127230	744	106612	2825	256	20	555	1	**559356**	**53835**
30	नीमच	21422	226366	247788	138044	8930	145131	1258	425	0	176	590	**542342**	**28843**
31	पन्ना	1408	413407	414815	141895	4011	125289	6477	353	236	327	0	**693403**	**53448**
32	रायसेन	12936	417270	430206	118116	850	90778	1010	277	4	322	1	**641564**	**101297**
33	राजगढ़	13223	478634	491857	510774	857	188593	2719	188	18	643	19	**1195668**	**53531**
34	रतलाम	30443	292175	322618	172635	3245	200927	1384	792	502	194	8	**702305**	**208028**
35	रींवा	41391	872814	914205	170806	24120	198629	15103	145	73	81	0	**1323162**	**65982**
36	सागर	8073	794747	802820	213711	1327	140628	5837	450	39	45	5	**1164862**	**102375**
37	सतना	23956	829593	853549	196178	15178	252606	9412	288	128	122	0	**1327461**	**60120**
38	सीहोर	51522	205100	256622	133069	175	67971	686	54	9	91	2	**458679**	**48077**
39	सिवनी	21376	491310	512686	124943	45	172503	3709	145	3	20	0	**814054**	**363750**
40	शहडोल	6131	500752	506883	86900	5842	104921	5062	249	33	23	0	**709913**	**158809**
41	शाजापुर	29690	306744	336434	292145	321	199970	3299	244	2	499	438	**833352**	**194857**
42	श्योपुर	560	244573	245133	144961	7261	123704	3314	55	1	640	132	**525201**	**29146**
43	शिवपुरी	16691	527805	544496	370247	47405	304748	9080	178	7	412	3	**1276576**	**136059**
44	सींधी	14314	433067	447381	94039	8803	190999	12776	35	42	23	0	**754098**	**280298**
45	सिंगरौली	2850	542021	544871	80167	7306	231458	3119	3	0	0	0	**866924**	**203665**
46	टीकमगढ़	6407	360563	366970	232231	38850	223571	5995	385	13	180	0	**868195**	**180077**
47	उज्जैन	33558	238866	272424	309821	724	205774	2248	614	49	761	356	**792771**	**143792**
48	उमरिया	974	337852	338826	46335	2877	68981	1000	26	0	10	0	**458055**	**63770**
49	विदिशा	13026	351331	364357	152480	511	80598	2411	353	213	518	0	**601441**	**28053**
50	खरगौन	1598	524152	525750	203285	1318	287754	1475	290	0	385	9	**1020266**	**294569**
योग		**840977**	**18761389**	**19602366**	**8187989**	**308953**	**8013936**	**175253**	**18803**	**6989**	**14916**	**3422**	**36332627**	**11904716**

परिशिष्ट–दो

19वीं पशुधन गणना 2012 के अनुसार पशुधन आँकड़ों में देश की तुलना में म0प्र0 की हिस्सेदारी

क्रं0	विवरण	भारत	मध्यप्रदेश	भारत की तुलना में म0प्र0 का प्रतिशत
1.	गौवंशीय			
(अ)	संकर नस्ल पशु	39731810	840977	2.11
(ब)	देशी नस्ल पशु	151172295	18761389	12.41
	कुल गौवंशीय पशु	**190904105**	**19602366**	10.27
2.	भैंस वंशीय पशु	108702122	8187989	7.53
3.	भेड़ा–भेंड़ी	65069189	308953	0.47
4.	बकरा–बकरी	135173093	8013936	5.93
5.	सूकर	10293695	175253	1.70
6.	घोड़े–टट्टू	624732	18803	3.01
8.	खच्चर	196378	6989	3.56
9.	गधे	318787	14916	4.68
12.	ऊँट	400274	3422	0.85
कुल पशुधन		**512057301**	**36332627**	7.10
11.	कुल कुक्कुट	729209320	11904716	1.63
12.	कुल कुत्ते	11672617	433367	3.71
13,	खरगोश	591685	3679	0.62

*स्त्रोतः भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पुस्तिका अनुसार

देश के अन्य राज्यों की तुलना में प्रदेश के पशु उत्पादों अनुमानित दूध,अण्डा, ऊन एवं मांस उत्पादन (वर्ष 2016–17) की स्थिति

क्र0	प्रदेश	दूध उत्पादन (000मे.टन में)	अण्डा उत्पादन (लाख में)	मांस उत्पादन (000में.टन में)	ऊन उत्पादन (000कि.ग्रामें)
1	आन्ध्र प्रदेश	12178	158274	633	792
2	तेलंगाना	4681	118186	591	4658
2	विहार	8711	11117	326	281
3	छत्तीसगढ़	1374	16638	49	87
4	गोवा	51	292	7	0
5	गुजरात	12784	17940	33	2267
6	हरियाणा	8975	52139	427	691
7	हिमांचल प्रदेश	1329	959	4	1475
8	जम्मू एवं कश्मीर	2376	2305	85	7266
9	झारखण्ड	1894	5103	55	178
10	कर्नाटक	6562	50671	209	6588
11	केरल	2520	23444	469	0
12	मध्यप्रदेश	13445	16940	79	406
13	महाराष्ट्र	10402	54774	845	1407
14	उड़ीसा	2003	19745	177	0
15	पंजाब	11282	47826	249	490
16	राजस्थान	19357	13633	180	14321
17	तमिलनाडु	7556	166824	573	2
18	उत्तर प्रदेश	27551	22889	1346	1286
19	उत्तराखण्ड	1692	4119	28	538
20	पश्चिम बंगाल	5183	65536	706	753
21	अरुणाचल प्रदेश	53	495	20	58
22	असम	861	4771	47	0
23	मणिपुर	79	992	27	0
24	मेघालय	84	1064	41	0
25	मिजोरम	24	408	15	0
26	नागालैण्ड	79	397	31	0
27	सिक्किम	54	68	4	0
28	त्रिपुरा	160	2294	40	0
29	अण्डमान निकोवार	16	1032	5	0
30	चण्डीगढ़	36	154	1	0
31	दादर व नगरहवेली	8	73	0	0
32	दमन एण्ड ड्यू	1	18	1	0
33	दिल्ली	279	0	66	0
34	लक्ष्यद्वीप	3	147	0.42	0
35	पुडूचेरी	48	116	15	0
योग		**163694**	**881386**	**7386**	**43544**

भारत सरकार कृषि मंत्रालय, सांख्यिकी अनुभाग

परिशिष्ठ–चार

जिलेवार अनुमानित दूध,अण्डा, ऊन एवं मांस उत्पादन की जानकारी
(वर्ष 2016–17)

कं	जिले का नाम	दूध उत्पादन (000 मे.टन में)	अण्डा उत्पादन (लाख में)	मांस उत्पादन (000मेंटन में)	ऊन उत्पादन (000किग्रा में)
1	जबलपुर	361.76	5206.43	8.75	0.58
2	कटनी	169.86	37.46	1.45	0.65
3	मंडला	100.82	132.61	0.63	0.06
4	डिडोरी	71.98	112.07	0.47	0.01
5	नरसिंहपुर	165.69	24.20	0.64	0.41
6	छिंदवाड़ा	222.35	509.79	1.70	0
7	बालाघाट	159.04	272.44	0.85	0
8	सिवनी	164.94	186.43	2.06	0.02
9	सागर	371.65	286.96	1.59	0.43
10	दमोह	225.32	78.41	0.74	3.60
11	पन्ना	216.19	36.18	0.62	3.93
12	टीकमगढ़	369.20	90.26	1.71	74.50
13	छतरपुर	354.42	62.30	0.76	6.29
14	रींवा	423.67	45.28	1.28	34.33
15	सींधी	168.03	146.22	0.89	10.53
16	सिंगरौली	198.89	175.35	0.80	8.38
17	सतना	384.43	70.75	1.03	18.68
18	शहडोल	126.57	123.89	0.58	10.38
19	अनुपपुर	68.05	62.77	0.55	0.05
20	उमरिया	82.30	48.18	0.42	2.88
21	इन्दौर	492.08	1560.30	6.64	0.25
22	धार	358.14	423.80	1.15	0.00
23	झाबुआ	127.33	415.77	0.49	4.91
24	अलीराजपुर	99.71	322.63	0.51	2.23
25	खरगौन	289.44	337.84	1.07	1.31

26	बड़वानी	172.88	478.38	0.88	0.00
27	खण्डवा	198.89	81.02	1.63	0.00
28	बुरहानपुर	59.96	56.76	0.71	17.10
29	उज्जैन	594.94	99.45	1.27	0.50
30	मंदसौर	383.09	50.06	0.71	20.54
31	नीमच	210.67	17.64	0.55	10.06
32	रतलाम	256.41	104.98	2.07	4.70
33	देवास	420.31	174.41	4.69	0.05
34	शाजापुर	396.68	495.47	1.92	0.06
35	ग्वालियर	399.75	103.75	0.81	29.11
36	मुरैना	641.06	29.25	0.63	26.13
37	श्योपुर	257.47	20.42	0.39	3.47
38	भिण्ड	393.89	17.00	0.52	8.49
39	शिवपुरी	496.14	85.58	0.96	91.84
40	गुना	277.74	54.80	0.67	0.32
41	अशोकनगर	159.23	23.28	0.45	0.95
42	दतिया	240.45	14.56	0.45	5.81
43	भोपाल	242.09	3220.50	11.00	0.01
44	सीहोर	390.76	106.07	1.92	0.07
45	रायसेन	230.51	116.57	1.79	0.57
46	विदिशा	300.95	44.48	2.85	0.37
47	बैतूल	253.65	231.55	0.87	0.89
48	राजगढ़	377.27	444.80	2.56	0.46
49	होशंगाबाद	215.16	54.06	0.58	0.00
50	हरदा	105.64	46.44	0.39	0.49
	योग	**13445.32**	**16939.62**	**78.64**	**406.39**

प्रजनन योग्य गौ–भैंस की जानकारी

19वीं पशु संगणना 2012 के अनुसार प्रजनन योग्य मादाओं की जानकारी						
क्रं	जिला	संकर गाय	देशी गाय	योग	भैंस वंश	कुल प्रजनन योग्य गौ–भैंस वंश
1	अलीराजपुर	124	64409	**64533**	29532	**94065**
2	अनुपपुर	3011	79849	**82860**	16870	**99730**
3	अशोकनगर	4830	114498	**119328**	64124	**183452**
4	बालाघाट	3588	145701	**149289**	49073	**198362**
5	बड़वानी	296	112620	**112916**	60139	**173055**
6	बैतूल	10661	123578	**134239**	61944	**196183**
7	भिण्ड	4147	48105	**52252**	108154	**160406**
8	भोपाल	10880	44632	**55512**	48275	**103787**
9	बुरहानपुर	1169	36461	**37630**	20626	**58256**
10	छतरपुर	1194	121927	**123121**	120322	**243443**
11	छिंदवाड़ा	9761	186116	**195877**	67810	**263687**
12	दमोह	1815	224838	**226653**	54368	**281021**
13	दतिया	300	43524	**43824**	80226	**124050**
14	देवास	16171	110599	**126770**	131507	**258277**
15	धार	28952	187548	**216500**	110689	**327189**
16	डिण्डोरी	165	81736	**81901**	15741	**97642**
17	खण्डवा	536	99803	**100339**	66621	**166960**
18	गुना	5940	142573	**148513**	106704	**255217**
19	ग्वालियर	3050	104358	**107408**	129124	**236532**
20	हरदा	1188	48157	**49345**	38823	**88168**
21	होशंगाबाद	9127	133146	**142273**	57166	**199439**
22	इन्दौर	44411	43558	**87969**	93664	**181633**
23	जबलपुर	13625	130049	**143674**	54513	**198187**
24	झाबुआ	7271	101771	**109042**	52153	**161195**
25	कटनी	1041	135123	**136164**	23248	**159412**

26	मंडला	2522	95499	**98021**	16436	**114457**
27	मंदसौर	26836	106393	**133229**	120153	**253382**
28	मुरैना	6779	60591	**67370**	320390	**387760**
29	नरसिंहपुर	17704	109875	**127579**	65753	**193332**
30	नीमच	11451	97574	**109025**	71338	**180363**
31	पन्ना	356	152010	**152366**	72306	**224672**
32	रायसेन	6715	181122	**187837**	63384	**251221**
33	राजगढ़	6316	164591	**170907**	232480	**403387**
34	रतलाम	16128	107582	**123710**	92360	**216070**
35	रींवा	19315	312914	**332229**	82524	**414753**
36	सागर	3756	360566	**364322**	111268	**475590**
37	सतना	9846	328558	**338404**	94767	**433171**
38	सीहोर	28203	77548	**105751**	70884	**176635**
39	सिवनी	9238	128513	**137751**	59923	**197674**
40	शहडोल	2881	122041	**124922**	28735	**153657**
41	शाजापुर	15172	121356	**136528**	154906	**291434**
42	श्योपुर	259	111441	**111700**	72965	**184665**
43	शिवपुरी	7852	189301	**197153**	189757	**386910**
44	सींधी	6138	125337	**131475**	42582	**174057**
45	सिंगरौली	1242	145569	**146811**	38012	**184823**
46	टीकमगढ़	2356	125659	**128015**	118584	**246599**
47	उज्जैन	17204	101982	**119186**	166980	**286166**
48	उमरिया	403	88431	**88834**	19731	**108565**
49	विदिशा	6708	176220	**182928**	83848	**266776**
50	खरगौन	809	152558	**153367**	121632	**274999**
योग		409442	6407910	**6817352**	4173114	**10990466**

परिशिष्ठ–छः

मध्यप्रदेश में 19वीं पशु संगणना 2012 के अनुसार प्रति संस्थावार पशुधन की स्थिति
(दिसम्बर 2017 की स्थिति में)

कं	जिला	पशु चिकित्सालय	पशु औषधालय	कुल संस्थाएं	पशु संख्या 2012	प्रति संस्था पशु संख्या
1	भोपाल	15	7	22	234159	10644
2	सीहोर	19	25	44	458679	10425
3	रायसेन	16	33	49	641564	13093
4	राजगढ़	20	40	60	1195668	19928
5	विदिशा	14	39	53	601441	11348
6	बैतूल	27	54	81	795234	9818
7	होशंगाबाद	16	33	49	535589	10930
8	हरदा	8	13	21	262227	12487
9	इन्दौर	18	24	42	431351	10270
10	धार	30	52	82	1266630	15447
11	झाबुआ	14	25	39	781732	20044
12	अलीराजपुर	13	19	32	810729	25335
13	खरगौन	38	34	72	1020266	14170
14	बड़वानी	25	23	48	821844	17122
15	खण्डवा	21	21	42	601022	14310
16	बुरहानपुर	8	15	23	297093	12917
17	उज्जैन	26	21	47	792771	16867
18	देवास	20	25	45	748882	16642
19	शाजापुर	17	17	34	833352	24510
20	रतलाम	21	38	59	702305	11903
21	मंदसौर	24	17	41	721011	17586
22	नीमच	17	16	33	542342	16435
23	ग्वालियर	22	20	42	596495	14202
24	शिवपुरी	29	47	76	1276576	16797
25	दतिया	12	25	37	363883	9835
26	मुरैना	24	23	47	956386	20349
27	श्योपुरकला	11	22	33	525201	15915
28	भिण्ड	21	28	49	435969	8897
29	गुना	15	41	56	725119	12949
30	अशोकनगर	11	24	35	452678	12934

क्रं	जिला	पशु चिकित्सालय	पशु औषधालय	कुल संस्थाएं	पशु संख्या 2012	प्रति संस्था पशु संख्या
31	सागर	41	42	83	1164862	14034
32	दमोह	29	23	52	796732	15322
33	छतरपुर	34	39	73	849960	11643
34	टीकमगढ़	26	42	67	868195	12958
35	पन्ना	26	32	58	693403	11955
36	जबलपुर	31	28	59	571090	9679
37	कटनी	13	29	41	585010	14269
38	नरसिंहपुर	14	33	47	559356	11901
39	सिवनी	18	53	70	814054	11629
40	छिंदवाड़ा	26	74	100	1111988	11120
41	बालाघाट	27	48	75	950343	12671
42	मण्डला	25	31	56	531018	9482
43	डिण्डोरी	12	24	35	490734	14021
44	रींवा	41	57	98	1323162	13502
45	सतना	28	61	89	1327461	15915
46	सींधी	24	41	65	754098	11602
47	सिंगरौली	15	21	36	866924	24081
48	शहडोल	23	35	58	709913	12240
49	उमरिया	13	16	29	458055	15795
50	अनुपपुर	15	26	41	478071	11660
51	आगर	10	9	19		
	योग	**1063**	**1585**	**2648**	**36332627**	**13721**

कामधेनु भवन

राज्य स्तरीय पशुपालन प्रशिक्षण संस्थान भोपाल में दिनांक 9 जनवरी 2017 को माननीय श्री अंतर सिंह आर्य जी मंत्री, मध्य प्रदेश शासन, पशुपालन विभाग, विभागीय समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए

राज्य स्तरीय पशुपालन प्रशिक्षण संस्थान भोपाल में दिनांक 9 जनवरी 2017 को विभागीय समीक्षा बैठक में उपस्थित प्रदेश के अधिकारी गण

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश शासन, घुमक्कड़, अर्द्ध घुमक्कड़ विमुक्त जाति सम्मेलन देवास में दिनांक 23 दिसम्बर 2016 को योजनाओं का अवलोकन करते हुए

ग्राम सनावद (जिला खरगौन) में दिनांक 31 अक्टूबर 2016 को गोकुल महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर गौपूजन करते हुए माननीय श्री अंतर सिंह आर्य जी मंत्री, मध्य प्रदेश शासन, पशुपालन विभाग